

# भारतीय मजदूर संघ

38

उत्तर प्रदेश

के


अधिवेशनों में

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी व अन्यान्य नेताओं

के

भाषण

१



25.2.52

~~38~~

# भारतीय मजदूर संघ

उत्तर प्रदेश

के

अधिवेशनों में

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी व अन्यान्य नेताओं

के

## भाषण



—भारतीय मजदूर संघ

प्रकाशक-

महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

२, नवीन मार्केट

कानपुर

मूल्य १ रु०५० पैसे

मुद्रक-

टिप-टाप प्रिन्टर्स

२४/९१, बिरहाना रोड,

कानपुर-१

फोन : ६९९९९

ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाते हुये

## भगवान विश्वकर्मा



जिनकी जयन्ती प्रति वर्ष १७ सितम्बर को

## ‘राष्ट्रीय श्रम दिवस’

के रूप में मनायी जाती है



भारतीय मजदूर संघ



उत्तर प्रदेश

के

दस वर्ष



१९५३ से १९६३

मूल्य — दो रुपया

प्रकाशक—

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश  
२, नवीन मार्केट,  
कानपुर ।

मुद्रक—

टिपटाप प्रिंटर्स

२४/९१, बिरहाना रोड,  
कानपुर ।



समस्त कला, कौशल व विज्ञान के सृजनकर्ता;  
उद्योगों के मूल पुरुष एवं श्रमिकों  
के आदि देव  
भगवान विश्वकर्मा  
के  
चरण कमलों में  
सादर समर्पित



## ❀ निवेदन ❀

प्रस्तुत पुस्तक में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ के १० वर्षों के कार्य की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य है—इस नवोदित संस्था के क्रमशः विकसित हुये कार्य की जानकारी देना।

यद्यपि भारतीय मजदूर संघ "भारतीय समाज-रचना" अर्थात् भारतीयता को अन्तिम उद्देश्य मानता है, तो भी जब तक भारतीय विशेषताओं से युक्त "भारतीय समाज-व्यवस्था" के पुनर्निर्माण का प्रयत्न सफल नहीं हो जाता, उसे वर्तमान ढाँचे में ही कार्य करना है।

अस्तु, सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पहलुओं को सामने रख कर मजदूर समस्याओं के निराकरण के लिये इस संगठन की एक रूपरेखा जो बन रही है, मजदूर संघ के हिताकांक्षी जनों का परामर्श व सहयोग आवश्यक है।

इतना ही विनम्र निवेदन है।

मकर संक्रान्ति १४ जनवरी, ६४

रामनरेश सिंह  
महामन्त्री  
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश



समस्त कला, कौशल व विज्ञान के सृजनकर्ता;  
उद्योगों के मूल पुरुष एवं श्रमिकों  
के आदि देव

**भगवान विश्वकर्मा**

के

चरण कमलों में

**सादर समर्पित**



## ❀ निवेदन ❀

प्रस्तुत पुस्तक में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ के १० वर्षों के कार्य की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य है—इस नवोदित संस्था के क्रमशः विकसित हुये कार्य की जानकारी देना।

यद्यपि भारतीय मजदूर संघ "भारतीय समाज-रचना" अर्थात् भारतीयता को अन्तिम उद्देश्य मानता है, तो भी जब तक भारतीय विशेषताओं से युक्त "भारतीय समाज-व्यवस्था" के पुनर्निर्माण का प्रयत्न सफल नहीं हो जाता, उसे वर्तमान ढाँचे में ही कार्य करना है।

अस्तु, सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पहलुओं को सामने रख कर मजदूर समस्याओं के निराकरण के लिये इस संगठन की एक रूपरेखा जो बन रही है, मजदूर संघ के हिताकांक्षी जनों का परामर्श व सहयोग आवश्यक है।

इतना ही विनम्र निवेदन है।

मकर संक्रान्ति १४ जनवरी, ६४

रामनरेश सिंह

महामन्त्री

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

## अनुक्रमणिका

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ</u>
१— भारतीय मजदूर संघ की स्थापना	१
२— वार्षिक अधिवेशन तथा प्रतिनिधि सम्मेलन	३
३— सम्पन्न किये गये उल्लेखनीय कार्य	८६
४— विशेष तिथियाँ	९४
५— सम्बद्ध यूनियनें	९५
६— संगठन की रूपरेखा	१००
७— भारतीय मजदूर संघ क्यों ?	१०१
८— महामन्त्री श्री ठेंगड़ी जी का संक्षिप्त परिचय	११३



- ★ जब तक शिक्षा के नवीन आदर्श द्वारा मालिकों की मनोवृत्ति नहीं बदली जाती तब तक ट्रेड यूनियनों द्वारा कोई स्थाई लाभ होना सम्भव नहीं, और शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन राष्ट्र द्वारा ही हो सकता है ।
- ★ और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक श्रमिक वर्ग के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अपने हानि-लाभका प्रश्न खुद हल करे । उसे अपने स्वत्वों के लिए स्वयं लड़ना होगा ।
- ★ जब तक इस वर्ग के भाग्य विधाताओं को सामाजिक अन्याय तथा मानवता के शोषण से कोई हिचक नहीं है, तब तक श्रमिक संघों की आवश्यकता रहेगी ही ।
- ★ वर्तमान परिस्थिति में श्रमिक संघ के बिना काम चल नहीं सकता । बल्कि यों कहना चाहिए कि समाज के आर्थिक जीवन के लिए इन संस्थाओं का रहना परम आवश्यक है ।




# भारतीय मजदूर संघ



के

सहामंत्री




श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी

## भारतीय मजदूर संघ की स्थापना

श्रमिक क्षेत्र में कम्युनिस्ट एवं अन्य वामपंथी श्रमिक नेताओं व उनके अराष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तथा इंटुक की सरकार एवं मिलमालिकों की जी-हुजूरी करने वाली नीति के दुष्परिणामों को देख कर दिनांक १५ नवम्बर सन् ५३ को प्रदेश के औद्योगिक केन्द्र कानपुर में 'भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश' नामक एक यूनियन की स्थापना की गई। इस संगठन का उद्देश्य—श्रमिकों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करते हुये उनके हितों की रक्षा करना था। इसका पंजीकरण दिनांक २१ दिसम्बर सन् ५३ को हुआ। अपने जन्मकाल से ही यह यूनियन प्रदेश के सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये बनाई गई थी, अतः महासंघ (फेडरेशन) की आवश्यकता को भी पूर्ण करने में सक्षम थी, पर दिनांक २३ जुलाई सन् १९५५ को लोकमान्य तिलक के पावन जन्म दिवस पर जब भोपाल में श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित एक अ० भा० संगठन के निर्माण की दृष्टि से श्रमिक नेताओं को आह्वान किया तब कानपुर के ये नेता भी पीछे न रहे, और वहां से स्फूर्ति लेकर महासंघ (फेडरेशन) की स्थापना के लिये वे प्रयत्नशील हुये। फलस्वरूप २४ फरवरी, ५७ के दिन ५ पंजीकृत यूनियनों के सहयोग से 'भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेशीय—शाखा' की स्थापना की गई। जिसे पर्याप्त नननुच के उपरान्त दि० १९ दिसम्बर, सन् १९६० के दिन राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की है। उस दिन तक १८ पंजीकृत यूनियने इस महासंघ से सम्बद्ध थीं।

उत्तर प्रदेश में जिन श्रमिक नेताओं ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में सहयोग दिया तथा प्रारम्भिक कठिनाइयों को झेलते हुये उसे आगे बढ़ाया और जिनपर आज भी उसे गर्व है, वे हैं—सर्वश्री ठाकुरदास साहनी (जो कि आजकल सहारनपुर में एक चीनी मिल के मैनेजर हैं), स्व० परमात्माचरण सक्सेना, रामकृष्ण त्रिपाठी, शिवकुमार त्यागी, शिवकुमार सिंह, स्व० ईश्वरबपाल सक्सेना, हंसदेवसिंह गौतम, यज्ञदत्त शर्मा तथा भगवतशरण रस्तोगी।

## हमारे ये हुतात्मा



स्व० श्री ईश्वरदयाल सक्सेना

(२१ नवम्बर ६३ की रात्रि ११ बजे, जो थैलीशाहों के एजेन्टों की गोलियों के शिकार हो गये)

सन् १९६० तक महासंघ को मान्यता न मिलने के कारण प्रदेश के अन्य जिलों व कारखानों में यूनियनों की स्थापना करना तथा सम्बद्ध करना सम्भव नहीं था। अतः स्वामात्रिक ही इससे सम्बद्ध यूनियनों की संख्या कम रही और सारे कार्य व हलचल का केन्द्र कानपुर में ही सीमित थी। उस समय लोहा उद्योग में लगे हुये कर्मचारियों का एक विशाल सम्मेलन दिनांक ५ जनवरी, ५८ के दिन कानपुर में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन व समय समय के प्रतिनिधि सम्मेलन भी कानपुर में ही करने पड़े।

उल्लेखनीय अधिवेशनों व सम्मेलनों में व्यक्त किये गये विचार तथा विवरण यहां अलग शीर्षक में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।



भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश  
के  
अध्यक्ष



विनयकुमार मुखर्जी (लखनऊ)

उपाध्यक्ष



नित्यानन्द स्वामी एडवोकेट (देहरादून)



वरमेश्वर पाण्डेय एडवोकेट  
(वाराणसी)

॥ श्री ॥


भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन  
के अवसर पर दिनांक २२ अक्टूबर, ६० को कानपुर  
(नारायणी धर्मशाला) में भारतीय मजदूर संघ  
के महामंत्री

**श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी**

का

**\* उद्घाटन भाषण \***

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तथा प्रिय प्रतिनिधिगण !



आज इस सम्मेलन के शुभ अवसर पर आप सब कार्यकर्ता बन्धुओं के बीच  
में अपने को पाकर मुझे अतीव प्रसन्नता  
हो रही है । ६ महीने पहले हम इसी  
नगर में इसी तरह सम्मिलित हुये थे । उस  
समय प्रदेश तथा देश की औद्योगिक  
समस्याओं पर हमने अपने विचार प्रकट  
किये थे तथा निकट भविष्य के लिये  
संगठनात्मक योजनाएं भी निश्चित की थीं ।  
इतनी अल्पकालावधि में हमें फिर से  
एकत्रित होने की आवश्यकता प्रतीत हुई,  
यह बात हमारी योजनापूर्वक प्रगति का  
सूचक है । इस प्रगति के लिये मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ ।

हमें ज्ञात है पिछले सम्मेलन के पश्चात् देश के औद्योगिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल है। उनकी मांगें न्यायोचित होते हुये भी उन्हें असफल क्यों होना पड़ा, यह बात सभी सम्बन्धित लोगों के लिये विचारणीय है। न्यूनतम वेतन के विषय में १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश तथा महंगाई भत्ते के विषय में प्रथम वेतन आयोग की सिफारिश सिद्धान्ततः मान लेने से भी इन्कार करने वाली सरकार के समाजवाद का सच्चा स्वरूप अभी तक जनता नहीं पहचान सकी तो उसके लिये दोषी सरकार नहीं अपितु जनता ही है। सरकारी पूंजीवाद के रूप में 'समाजवाद' निजी पूंजीवाद से भी भयावह है—क्योंकि उसमें आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण उन्हीं हाथों में होता है, जिनके पास शासन की बागडोर भी है, इस महान् सत्य के अनुरूप ही सरकार ने व्यवहार भी किया। पिछले त्रिदलीय सम्मेलन में भारत के श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल जी नन्दा ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सरकारी क्षेत्र चलाने वाले लोग देवदूत नहीं और एकबार उद्योगपति का स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात् उद्योगपतियों का सा पूर्वाग्रह हर एक में आ ही जाता है। हिन्दुस्थान में भारत सरकार को सबसे बड़े उद्योगपति का स्थान प्राप्त है। इस दृष्टि से श्री नन्दा द्वारा प्रकट सत्य अभिनन्दनीय है। इसके पश्चात् भी तरतम भाव को छोड़कर सभी उद्योगों के सरकारीकरण के लिये समर्थन करने वाले पुस्तकीय समाजवादियों के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 'ब्रह्माऽपि नरं न रञ्जयति।'

कर्मचारियों को धोखा देने में कर्मचारियों के नेताओं ने सरकार को भी मात दे दी। व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ के लिये राजनैतिक नेताओं ने कर्मचारियों का दुरुपयोग किया, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों की कितनी हानि हो सकती है, इसका ज्वलन्त उदाहरण, यह हड़ताल है। पी० एस० पी० के नेताओं का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार तथा कम्युनिस्टों का इस आन्दोलन के पीठ में छुरा भोंकने का देशव्यापी षड्यंत्र, ये दोनों बातें अब इतनी लोकपरिचित हो गई हैं कि उनको यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं। सरकार तथा पूंजीपतियों का सभी परिस्थियों में समर्थन करने की 'इण्टक' की नीति, अपने दलगत स्वार्थ को तथा विदेशी आक्रमकों के हित की सिद्धि के लिये श्रमिक आन्दोलन का गलत ढंग से उपयोग करने की साम्यवादियों की उत्सुकता; तथा किसी भी सिद्धान्त पर अटल न रहते हुए केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता हेतु चाहे जो भला बुरा काम करने की पी० एस० पी० के नेताओं की मानसिक सिद्धता—इन तीनों तथ्यों का

सम्यक ज्ञान रहने के कारण इन तीनों संस्थाओं से अलग एक नई, आदर्शवादी, राष्ट्रवादी तथा श्रमहितवादी, अराजनैतिक, श्रमिक संस्था का आगमन सरकारी क्षेत्र में भी होना चाहिये, ऐसी इच्छा सरकारी कर्मचारियों के मन में निर्माण हुई है।

जो बात सरकारी क्षेत्र की है, वही निजी क्षेत्र की भी। पांच साल पहले, भारतीय मजदूर संघ का निर्माण होते ही, चारों ओर से पूछा गया कि श्रमिक क्षेत्र में पहले से काम करने वाली इतनी अ० भा० संस्थाओं के रहते हुये भी एक नई संस्था का निर्माण आप लोगों ने क्यों किया? उस समय हमने जो उत्तर दिया था, उसका वास्तविक अर्थ समझना आज अधिक सरल हो गया है।

भारतीय मजदूर संघ का निर्माण होने के पहले हमारे ट्रेड यूनियन क्षेत्र में प्रमुख रूप से दो विचार धाराएँ चल रही थी। एक कम्युनिस्टों की है, जो श्रमिकों का पक्ष लेकर पूंजीपतियों से संघर्ष तो करते थे किन्तु श्रमिकों के हित में तथा औद्योगिक विवादों के सुलझाने में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। विवाद और कैसे बढ़ेंगे गरीबी तथा बेकारी अधिक कैसे बढ़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले असन्तोष का अपने दलगत स्वार्थ के लिये उपयोग कैसे होगा, इधर ही उनका ध्यान था। वे जैसे पूंजीवाद के वैसे ही राष्ट्रवाद के भी विरोध में थे। इन देशद्रोहियों के हाथ में हमारे मजदूर आन्दोलन की बागडोर जाना देश के लिये खतरे से खाली नहीं था। इनके विरोध में दूसरा प्रवाह 'इण्टक' का था। 'इण्टक' वाले देश भक्त तो हैं, किन्तु श्रमिकों का कल्याण साध्य करने में वे असफल रहे, क्यों कि 'इण्टक'—कांग्रेस के नीचे है। कांग्रेस-शासन के तथा शासन-पूंजीपतियों के। अतः 'इण्टक' पूंजीपतियों से,--आवश्यकता होने पर भी, सीधा संघर्ष नहीं करना चाहती। अर्थात् देशभक्त होते हुये भी 'इण्टक' पूंजीपतियों की पृष्ठपोषक है। श्रमिकों के हित की दृष्टि से दोनों धाराएँ अवांछनीय थी। इसी लिये हम लोगों ने सोचा कि अब तीसरी श्रमिक संस्था स्थापित होनी चाहिये, जो इण्टक के समान देशभक्त रहे किन्तु उसके समान पूंजीपतियों की चेरी न बने, और जो कम्युनिस्टों के समान, आवश्यकता होने पर पूंजीपतियों से संघर्ष भी कर सके किन्तु उसके समान गैर जिम्मेदार तथा देशद्रोही न हो। भारतीय मजदूर संघ ऐसी तीसरी संस्था है। सैद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाय तो ए० आय० टी० यू० सी० वर्ग--संघर्षवादी है, इण्टक वर्ग समन्वयवादी। भारतीय मजदूर संघ, वर्गवाद में ही विश्वास नहीं रखता। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाय तो, हड़ताल कम्युनिस्टों के लिए प्रथम शस्त्र है, और इण्टक उसे अस्पर्श मानकर चलती है,

भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अस्पर्श भी नहीं समझता और न प्रथम शस्त्र भी । अन्य संवैधानिक मार्गों को अपनाने के पश्चात्, यदि वे फलदायी न हुये तो, भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अंतिम शस्त्र के रूप में अपनाता है । निःसंदेह, यह मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है ।

सरकार के समाजद्रोही समाजवाद का दुष्परिणाम न केवल सरकारी कर्मचारियों पर अपितु सभी औद्योगिक तथा खेतिहर मजदूरों पर भी हुआ है । आज औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में चारों ओर असंतोष फैला हुआ है । समाजवादी घोषणा के बावजूद गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है । पंचवर्षीय योजनाओं के चलते हुये भी बेकारों की संख्या बढ़ रही है; आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है; रुपयों की कीमत घटती जा रही है वास्तविक वेतन घटते जा रहे हैं; औद्योगिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं; कार्यदिवसों की हानि बढ़ती जा रही है । सरकारी तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक उग्र स्वरूप धारण करती जा रही है । कहा जाता है कि पूर्व योजनाओं के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय ४० प्रतिशत बढ़ गई है । किन्तु इसके साथ ही जन साधारण की आर्थिक दुरवस्था भी बढ़ती ही जा रही है । सामान्यतः आर्थिक क्षेत्र के और विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र के इस सर्वकष संकट की मूलगामी कारण मीमांसा करते हुये उसके विषय में उतनी ही सर्वकष उपाय योजना के सुझाव देने का सबसे अधिक दायित्व श्रमिक संस्थाओं पर ही है; क्यों कि सबसे अधिक निर्धन श्रमजीवी जनता का प्रतिनिधित्व वे करती हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि इस दायित्व का निर्वाह करने की बजाय वे केवल सद्य फलदायी, सस्ती घोषणाओं के ही पीछे जाना चाहती हैं ।

आज के हमारे औद्योगिक ढांचे का स्वरूप ही औद्योगिक अशांति का प्रथम प्रमुख कारण है । हमारा आजका औद्योगिक ढांचा भारत की प्रकृति के अनुकूल नहीं । भारत में कारखाना नहीं परिवार उत्पादन की इकाई रही है । 'विकेन्द्रीकरण' आर्थिक लोकतन्त्र भारत की विशेषता रही है । किन्तु अंग्रेजों के प्रभाव में आकर हमारे उद्योगपतियों ने पश्चिम का औद्योगिक ढांचा, बगैर सोचे समझे भारत में चला दिया । पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिम में यंत्रयुग का आधार वाष्पशक्ति था । उसका विकेन्द्रीकरण असम्भव था । इसलिये उसके सहारे चलने वाले यंत्रों द्वारा होने वाले उत्पादन की प्रतिक्रियाओं का भी विकेन्द्रीकरण असम्भव था । परिणामस्वरूप पूँजी तथा श्रमका भी केन्द्रीकरण हो गया । इसी ढांचे का हमारे उद्योगपतियों ने अंधानुकरण किया । इसलिये आज औद्योगिक ढांचा अभारतीय, औद्योगिक सम्बन्धों का स्वरूप अभारतीय, औद्योगिक

कानून की रचना अभारतीय और औद्योगिक क्षेत्र का वायुमण्डल भी अभारतीय है। इनके जो दुष्परिणाम पश्चिम में दिखाई दिये, वे भारत में भी दिखने लगे। अब शास्त्रीय ज्ञान की प्रगति के कारण बाष्पशक्ति के स्थान पर विद्युत-शक्ति को तथा अणुशक्ति को यन्त्र का आधार बनाना सम्भव हो गया है। इन दोनों शक्तिओं का विकेन्द्रीकरण सरलता से हो सकता है। इसलिये इनके सहारे अद्यावत् यांत्रिकीकरण तथा उत्पादन की प्रतिक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण—दोनों बातें एकसाथ साध्य हो सकती हैं। उस अवस्था में उत्पादन की इकाई के नाते कारखाने का स्थान परिवार ले सकता है। अबतक जहाँ जहाँ बड़े पैमानेके उद्योगों की पहले ही स्थापना हो चुकी है, वहाँ वहाँ सहस्वामित्व (Co-Partner Ship) के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने से तथा जहाँ नये उद्योगोंके प्रारम्भ करनेका विचार है, वहाँ जहाँ तक सम्भव हो, विद्युतशक्ति के सहारे, परिवार को उत्पादक इकाई बनाकर यंत्रीकृत अपितु विकेन्द्रित उत्पादन प्रक्रियाओंका स्वीकार करने से हमारे औद्योगिक वायुमण्डल के विद्यमान दुष्परिणामों की तीव्रता कम करने का, सम्भाव्य दुष्परिणामों की तीव्रता कम करने का तथा सम्भाव्य दुष्परिणामों को टालने का कार्य सफलता से हो सकता है। इससे औद्योगिक सम्बन्धों का स्वरूप बदल जावेगा। औद्योगिक कानून को बदलना भी सम्भव होगा। यही बात भारतीयता से मेल खाने वाली है।

अशांति का दूसरा प्रमुख कारण है भारतीयों द्वारा अभारतीय मनोरचना का अपनाया जाना। राष्ट्रकशरणवृत्तिका अभाव—इसका स्वाभाविक परिणाम है तथा इससे आत्यंतिक स्वार्थ और स्वकेन्द्रितता का सर्वत्र प्रादुर्भाव हुआ है। इस जड़वादी मनोवृत्ति के कारण न केवल मालिक-मजदूर संघर्ष अपितु मालिक-मालिक संघर्ष और मजदूर-मजदूर संघर्ष भी स्थान स्थान पर निर्माण हुए। समाज की मौलिक एकात्मता की विस्मृति होने पर क्या अनर्थ नहीं हो सकता ?

कभी कभी प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस तरह का आर्थिक असन्तोष प्राचीन भारत में नहीं था ? आर्थिक अशांति को रोकने के लिये हमारी समाज व्यवस्था में क्या योजना थी ? भारतीय समाज रचना के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं की सबसे अधिक उपलब्धि तथा उनके सेवन की सबसे अधिक अनुमति केवल परिचर्यात्मक कर्म (Menial Work) करने वाले श्रमिकों को ही थी। समाज के अन्य सभी अंगों के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि तथा अधिकार, इन पर हमारे शास्त्रों ने क्रमशः बढ़ते जाने वाली मर्यादायें रखी थी। श्रमिकों के समान ही यदि दूसरे किसी भी अंग ने उपभोग किया तो उसे धर्म

विरोधी समझा जाता था। इस तरह हमारी रचना ही पाश्चिमात्य रचना के ठीक विपरीत थी। पश्चिम में आवश्यक वस्तुओं की सबसे कम उपलब्धि श्रमिकों को होती है और आवश्यक वस्तुओं का श्रमिकों से अधिक सेवन समाज के अन्य व्यक्तियों के लिये पश्चिम में निषिद्ध नहीं माना जाता। भारत में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के वितरण के विषय में संयम तथा आत्म शासन पर निर्भर जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसकी कल्पना भी पाश्चिमात्य नहीं कर सकते। इस रचना में श्रमिकों का असन्तोष असम्भव ही था। इसका अतिक्रमण हुआ तभी अशांति का निर्माण हुआ।

भारत की परम्परा तथा परिस्थिति का विचार न करते हुए बनाई गयी सरकार की अर्थनीति, विद्यमान असन्तोष का तीसरा प्रमुख कारण है। जिसका केन्द्र बिन्दु है, पंचवार्षिक योजनाएँ। व्यवहार्यताके स्थान पर पुस्तकीय मनोवृत्ति का तथा प्रयोजनीयता के स्थान पर दर्शनीयता का सरकार द्वारा अपनाया जाना, कृषि के विषय में आवश्यक आग्रह का अभाव; उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले यन्त्रीकृत छोटे उद्योगों की जगह बुनियादी तथा भारी उद्योगों के विषयमें अत्यधिक आग्रह, देशकी वास्तविक आवश्यकताओं को अग्रक्रम (Priority) न देते हुए आर्थिक सहायता देने वाले देशों के पास अतिरिक्त (Surplus) माल कौन सा है यह देखकर योजनाओं की रचना; अधिकतम लोगों को काम देने की दृष्टि न रखते हुए पाश्चिमात्य पद्धति के मानवी परिश्रम की आवश्यकता को कम करने वाले औद्योगीकरण का अपनाया जाना, हमारी निजी भारतीय टेक्नालाजी का प्रारम्भ भी न होने के कारण उत्पादन के परम्परा-प्राप्त साधनों का तेजी से (Deceptalisation) होना उन पर काम करने वाले कारीगरों का बेकार होना तथा उनसे सम्बन्धित व्यवस्थापकीय कौशल का निरूपयोगी होना, अवास्तविक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अविरत बढ़ते ही जाने वाले करों की, परदेश निर्भरता की, (Deficitfinanec) तथा उसके फलस्वरूप मूल्य-वृद्धि की अपरिहार्यता इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मजदूर संघ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गरीब श्रमजीवी जनता की आर्थिक अवनति का एक प्रमुख कारण हमारी योजनाएँ हैं। इस पृष्ठभूमि पर भारतीय मजदूर संघ की यह मांग है कि अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्राकृत्य में इस दृष्टि से आमूलाग्र परिवर्तन होना चाहिये।

सर्व साधारण अर्थनीति के साथ साथ विशेषरूप से औद्योगिक नीति भी अशांति के लिये जिम्मेवार है। सरकारी क्षेत्र में आदर्श उद्योगपति की भूमिका

का समुचित निर्वाह करने में सरकार ने जो अनिच्छा तथा असमर्थता प्रकट की उसके कारण निजी क्षेत्र में प्रभावी नियन्त्रक शक्ति के नाते कार्य करना सरकार के लिये असम्भव हो गया है। अनुशासन संहिता के विषय में प्रवचन देना तो सरल है किन्तु त्रिदलीय सम्मेलन के सर्वसम्मत निर्णयों को निर्णायक तथा बंधनकारक मानने को जहां स्वयं सरकार तैयार नहीं, वहां निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अनुशासन संहिता का भंग करते हुए मनःपूत व्यवहार किया तो उसमें आश्चर्य क्या है ? सरकार की श्रमिक विरोधी-वृत्ति अब स्पष्ट हो गई है।

केन्द्रीय कर्मचारियों का दमन करते समय सरकार ने जिस तत्परता का परिचय दिया उसका दशांश भी यदि चीन या पाकिस्तान की सीमातिक्रमण पर प्रकट होता, तो राष्ट्र का कल्याण होता। अब हड़ताल पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाने का विचार चल रहा है। इससे अधिक लोकतन्त्र विरोधी कार्यवाही की औद्योगिक क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हड़ताल का अधिकार काम के अधिकार का ही अपरिहार्य उपग्रमेह है। श्रमिकों का यह मौलिक अधिकार है। भारतीय मजदूर संघ जहां तक बने वहां तक हड़ताल न करने के ही पक्ष में है। तो भी हड़ताल का अधिकार छीन लेना भारतीय मजदूर संघ किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं कर सकता। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले त्रिदलीय सम्मेलनमें श्रमिक प्रतिनिधियोंके साथ ही पूंजीपतियों के प्रतिनिधियों ने भी हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सुझाव का विरोध किया और समाजवादी सरकार के सम्मान्य श्रममन्त्री ने इस श्रमिक विरोधी सुझाव का सूत्रपात तथा समर्थन किया।

श्री गुलजारीलाल जी नन्दा द्वारा दिया हुआ 'विहटले कौंसिल' का सुझाव वैसे तो स्वागतार्ह है। किसी भी पर्यायी व्यवस्था के फलस्वरूप हड़ताल अनावश्यक प्रतीत हो; यही वांछनीय है। 'विहटले कौंसिल' की कार्यवाही ग्रेट ब्रिटेन में अच्छी तरह से चल भी रही है। किन्तु हिन्दुस्थान में वह व्यवस्था कहां तक सफल होगी यह कहा नहीं जा सकता। उसकी यशस्विताकी दो शर्तें हैं। एक तो विभिन्न स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समितियों में बैठने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधि उनके वास्तविक प्रतिनिधि होने चाहिये और दूसरी बात यह कि (Arbitration) का निर्णय सरकार को अविलम्ब और जैसे के वैसे मान लेना चाहिये। इस तरह जैसे के वैसे और अविलम्ब आर्बिट्रेशन के निर्णय को मान लेने की सरकार की अब तक परम्परा नहीं। और श्रमिक क्षेत्र में ऐसा संदेह

फैल गया है कि संयुक्त सलाहकार समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के नाते अपने ही समर्थकों को लाने का सम्पूर्ण प्रयत्न 'इण्टक' द्वारा सरकार करेगी। कर्मचारियों के ये संदेह दूर हों, ऐसा व्यवहार करना सरकार का ही दायित्व तथा कर्तव्य है।

केन्द्रीय कर्मचारियों के यूनियनों में बाहरी लोगों पर प्रतिबन्ध लगाने का श्री नन्दा जी का दूसरा सुझाव है। तानाशाही की ओर बढ़ने की इच्छा मनमें रहते हुए भी उसे प्रकट करने में सरकार को अब तक संकोच का अनुभव होता था। किन्तु उपरिनिर्दिष्ट दोनों सुझाव ऐसा सूचित करते हैं कि सरकार ने इस संकोच को भी अब छोड़ दिया है। बाहर के व्यक्तियों की सहायता पर अवलंबित न रहते हुए कर्मचारी अपने ही पैरों पर खड़े हो सके—यह सबकी इच्छा है। किन्तु कर्मचारियों को जब तक विश्वास नहीं होता कि संयुक्त सलाह या वार्ता के समय शासन के प्रतिनिधि समान भूमिका पर आकर लोकतांत्रिक मनोवृत्ति से व्यवहार करेंगे तबतक बाहर के व्यक्तियों की आवश्यकता कर्मचारियों को अपरिहार्य रूप से प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। किन्तु अभी तक ऐसा विश्वास निर्माण नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि अपनी ही शक्ति तथा साहस के बल पर कर्मचारी आत्मनिर्भर बने, यह तो वांछनीय ही है। किन्तु बाहर के व्यक्तियों को अपनी यूनियन में लेने के उनके अधिकार पर कुठाराघात करना अलोकतांत्रिक है। कहा जाता है कि कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को राजनीति से अलिप्त रखने के लिये ही यह सुझाव है। न केवल केन्द्र कर्मचारियों का अपितु सभी श्रमिकों का आन्दोलन राजनीति से अलिप्त ही रहना चाहिये, ऐसी हमारी भी इच्छा है। और इसी दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ अपनी गैर-राजनैतिक भूमिका का निर्वाह दक्षता से करते आया है। किन्तु इस तर्क की आड़ में सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दल के गुलाम बनाने की जो योजना है, उसकी हम निन्दा करते हैं। कर्मचारियों को पूर्णरूपेण गैर राजनैतिक बनाने की इच्छा की तार्किक परिणति उनके मतदान का अधिकार छीन लेने में ही हो सकती है—ऐसा कदम उठाने से सरकार की नैतिकता उसे रोकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह केवल जन-लज्जा का प्रभाव है। किन्तु सरकार की अंतस्थ प्रवृत्ति सर्वाधिकारशाही की ही है। इस अवस्था में सरकारी उद्योगों के क्षेत्र की सीमाएं अधिकाधिक विस्तृत करने की सरकारी इच्छा के परिणाम स्वरूप देश में सरकारी गुलामों की संख्या में भयानक वृद्धि होगी, इसमें सन्देह नहीं।

विभिन्न कारणों से निर्माण हुई औद्योगिक अशान्ति के फलस्वरूप राष्ट्र, उद्योग तथा श्रमिक, तीनों की ही महान् हानि हो रही है। क्योंकि तीनोंके हितों की दिशा एक ही है। तीनों के हितों में न केवल परस्परावलंबित्व अपितु सम्पूर्ण एकात्म्य भी है। इस भीषण हानि को रोकना एक ऐतिहासिक महत्वका कार्य है। अन्य श्रमिक संस्थाएँ इस कार्य की दृष्टि से असफल ही रही हैं। इस अवस्था में क्या कहीं से सफल नेतृत्व की आशा की जा सकती है, ऐसा प्रश्न चारोंओर से किया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये ही भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये ही पिछले ५ वर्ष से दौड़-धूप चल रही है और आगे भी बहुत तेजी से तथा उत्साह से चलती रहेगी इसका हमें विश्वास है। आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की गलत नीतियां, स्वार्थ केन्द्रित अराष्ट्रीय उद्योगपतियों की अदूरदर्शिता, श्रमिकों में संगठन का अभाव, श्रमिक नेताओं की अवसरवादिता तथा व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थों की सिद्धि के लिये, श्रमिकों की विपन्नावस्था का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति और औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में सर्वसाधारण जनता की उदासीनता, इन सब बातों के कारण पीड़ित तथा आतंकित भारतीय श्रमिक आज भारतीय मजदूर संघ की ओर आशाभरी दृष्टि से देख रहा है। क्या हम उसकी आशा की पूर्ति कर सकेंगे ? हमारी सैद्धान्तिक भूमिका निर्दोष है। पिछले पांच वर्षों में भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया हुआ व्यावहारिक मार्ग दर्शन भी सुयोग्य सिद्ध हुआ है। किन्तु संगठन की दृष्टि से हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। हर एक प्रदेश में हमें अपने संगठन की नींव अधिक गहरी तथा विस्तृत बनानी है। इसी दृष्टि से अन्यान्य प्रदेशों के समान उत्तर प्रदेश में भी कुछ महीने पहले हम प्रादेशिक सम्मेलन के रूप में एकत्रित हुये थे और आज फिर से सम्मिलित हो रहे हैं। पिछले सम्मेलन में जहां एक ओर संगठन की प्रगति का विचार किया वहां दूसरी ओर सामान्यतः देश की और विशेषतः प्रदेश की औद्योगिक परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए, राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय समस्याओं पर श्रमिकों को मार्गदर्शन किया। उसी तरह यह सम्मेलन भी उसी दिशा में अधिक सफलता से कार्य कर सकेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

इस चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे—श्री रमाशंकर शुक्ल ( सभासद, नगर महापालिका, कानपुर ) तथा तबनिर्वाचित प्राधानाध्यक्ष श्री नित्यानन्द स्वामी अध्यक्षता कर रहे थे।

॥ श्री ॥

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के पंचम वार्षिक अधिवेशन  
के अवसर पर दिनांक १४ अक्टूबर, ६१ के दिन  
आगरा (अचल भवन) में भारतीय मजदूर संघ  
के महामंत्री

**श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी**

का

✽ **उद्घाटन भाषण** ✽

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तथा प्रिय प्रतिनिधि बन्धुगण !

प्रारम्भ में ही मैं सब बन्धुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रतिनिधि सभा के पिछले अधिवेशन के पश्चात् इस प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ द्वारा की हुई संख्यात्मक तथा गुणात्मक प्रगति सराहनीय है। इसका सम्पूर्ण श्रेय आपही के अथक परिश्रम को है।

महत्वपूर्ण अवसर

आज हम अति महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मिलित हो रहे हैं। देश तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़ा है। वैसे ही, पंचवर्षीय सत्ता सम्पादन के हेतु लोकतान्त्रिक निर्वाचन-संग्राम की भेरियां बजने लगी हैं, और पिछले पांच वर्ष तक जिन्हें मजदूरों का विस्मरण हो गया था, वे श्रेष्ठ राजनैतिक नेता फिर से मजदूरों की झोपड़ियों के द्वार खटखटाने लगे हैं। पांच साल के पश्चात् पहली ही बार वे मजदूरों के दुखदर्द की कहानी सुन लेने की मनःस्थिति में हैं। इस समय हमारी बातें स्पष्ट रूप से सबके सामने प्रस्तुत करना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

### वनवासी श्रमिक

मुझे एक अर्थशास्त्रज्ञ ने कहा कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त जो कुछ भी रहें जमाना ऐसा है कि जो जोर से चिल्लाएगा उसी की बात सुनी जाएगी। इस दुःखजनक सत्य का अनुभव व्यवहार में कई बार आता है। न्याय की मांग है कि जो सबसे अधिक दुर्बल है उसकी सुरक्षा की चिंता सबसे अधिक करनी चाहिये। व्यवहार में अनुभव इसके ठीक विपरीत आता है। शिक्षा-दीक्षा तथा संगठन के अभाव के कारण सबसे अधिक विवश अवस्था जंगल में निवास करने वाले हमारे वनवासी श्रमिकों की है। उनके वन विषयक पुराने अधिकार छीन लिये गये हैं। किन्तु उनके स्थान पर तत्सम नूतन अधिकारों की प्रतिष्ठा नहीं हुई। भूमिहीनों को भूमि वितरण करने के कार्यक्रम का प्रचार बहुत हुआ। किन्तु वास्तविकता यह है कि इन बेचारों को या तो जमीन मिली नहीं और यदि कहीं कहीं मिली भी तो वह इतनी अपर्याप्त (uneconomic) है कि उसके द्वारा कृषि उत्पादन या जीविकोपार्जन करना किसी के भी लिये सम्भव नहीं। अंततोगत्वा यह जमीन अपने ही कब्जे में लेने की सरकार की दुष्ट इच्छा है यह स्पष्ट है। न्यूनतम वेतन अधिनियम का संरक्षण भी कई प्रदेशों में उन्हें प्राप्त नहीं। वनवासी श्रमिकों की अवस्था 'न इधर के रहे-न उधर के रहे' ऐसी हुई है इसमें सन्देह नहीं।

### खेतिहर मजदूर

वनवासी श्रमिकों के समान ही खेतिहर मजदूरों का भी बहुप्रचारित भूमि वितरण से कुछ लाभ नहीं हो सका। करोड़ों खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम के अतिरिक्त संरक्षण देने वाला दूसरा कोई भी कानून नहीं। यह अधिनियम भी कुछ सीमित क्षेत्रों के लिये ही लागू किया गया है। और वहां भी इस पर ठीक प्रकार कार्यवाही नहीं हो रही।

सत्य तो यह है कि इस समस्या का हल निकालने में हमारी सरकार पूर्णरूपेण असफल सिद्ध हुई है। कारण दो हैं। एक तो भारत सरकार के औद्योगिक कानून का आधार ब्रिटिश कानून है। ग्रेट ब्रिटेन में कृषि समस्या का स्वरूप भारत के समान नहीं है। इस लिये ब्रिटिश कानून का अनुकरण करते हुए बनाए गए हमारे औद्योगिक कानून भारत के खेतिहर मजदूरों को पर्याप्त तथा सुयोग्य संरक्षण नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि हमारी सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति का आधार सोशलिज्म है। सोशलिज्म के आधार पर

भूमि समस्या सुलझ सकती है—ऐसा सिद्ध करने वाला एक भी उदाहरण संसार में नहीं। भूमि समस्या के वास्तविक स्वरूप की जानकारी सोशलिज्म को कभी भी हो नहीं सकी। खुद को सोशलिस्ट बताने वाले लोग भी कहीं कहीं इस समस्या पर आंशिक विजय तभी प्राप्त कर सके जब उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ दिया। और फिर भी उनकी विजय आंशिक और केवल सामयिक ही रही। सोशलिस्टों के प्रपितामह मार्क्स को समस्त मानव जाति का Prophet कहते हैं। किन्तु मानव जाति का सबसे बड़ा हिस्सा याने किसान और खेतिहर मजदूर इनकी समस्या के वास्तविक स्वरूप के विषय में मार्क्स का अज्ञान विस्मयजनक था। उनकी विचार प्रणाली को अपनी समाज रचना का आधार बनाकर हम खेतिहर मजदूरों का सवाल हल कर सकेंगे—यह सोचना एक महान भूल है।

वास्तविकता यह है कि केवल फैशनेबल घोषणाओं के पीछे न दौड़ते हुए हम अपने ग्रामीण जीवन की पुनर्रचना भारत के पुरातन सिद्धान्त तथा व्यवस्थाओं के आधार पर करेंगे तभी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण ग्राम को एक इकाई समझकर उसके हर एक अंग का विचार अंगांगीभाव के आधार पर करना—यही भारतीय पद्धति है। उसी का पुनरुज्जीवन करने से खेतिहर मजदूर, किसान, कारीगर आदि समस्त ग्रामीण जनता के कल्याण का मार्ग निकल सकता है। परायों के अन्धानुकरण से नहीं।

### छोटे किसान

दुनियां भर फैले हुए छोटे किसानों का अस्तित्व मार्क्स तथा मार्क्सवाद के लिये एक प्रबल चुनौती है। दुनिया का दो गुटों में बंटवारा करने वाले यह बताये कि छोटे किसानों का स्थान किस गुट में है। वे कैपिटलिस्ट नहीं, प्रोलेटेरिएट भी नहीं। वे स्वयम् परिश्रम करते हैं और उत्पादन निकालते हैं। यह स्मरणीय है कि मार्क्स ने जिन्हें बैल के समान बुद्धिहीन समझ कर अपमानित किया, उन किसानों ने ही सैद्धान्तिक संघर्ष में अपने केवल अस्तित्वमात्र से बुद्धिमान मार्क्स को प्रथमतः तथा निर्णायक रीति से पराजित किया।

अंग्रेजी कानून की नकल करते हुए भारत के औद्योगिक कानून ने भी 'श्रमिक' की परिभाषा 'वेतन भोगी' ऐसी ही की। इसलिये स्वयम् महान परिश्रमी होते हुए भी छोटे किसान कानून की दृष्टिसे 'श्रमिक' नहीं हैं तथा उन्हें सहायता देने वाला श्रमिक कानून निर्माण होना भी असम्भव है।

### देशी कारीगर

यही अवस्था कोटि कोटि कारीगरों की है जो किसी के मालिक नहीं और किसी के नौकर भी नहीं। जो स्वयम् अपने ही मालिक और अपने ही नौकर हैं।

जैसे मुनार, लोहार, नाई इत्यादि । कानून इनको 'श्रमिक' समझने के लिये तैयार नहीं । यही है अभारतीयता—परायों का बौद्धिक दास्य । इसके कारण वास्तविक सत्य और कानूनी सत्य इन दोनों में महदंतर निर्माण हुआ ।

### गृहग्रामोद्योग

स्वयं वेतनभोगी होते हुये भी कानून की उपेक्षा का विषय बने हुये श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में हमारे गृहोद्योगों तथा ग्रामोद्योगों में काम कर रहे हैं । इनकी चिन्ता कानून को नहीं । हां, पांच साल में एकबार राजनीतिज्ञ श्रेष्ठियों को उनका ख्याल अवश्य आ जाता है ।

### जलनाविक आदि

भारत में परम्परा प्राप्त पेशे का काम आनुवंशिक पद्धति से करने वाले कितने ही आर्थिक व्यक्ति समूह हैं । उनमें से कई समूहों को कानून ने अपनी कक्षा के बाहर रखा है । और जिनको औद्योगिक कानून की परिधि में लाया गया है उनकी सहायता करने में भी कानून दक्ष नहीं । अनपढ़ तथा असंगठित समूहों को अपनी जायज मांगें हासिल करवा लेने में तबतक कामयाबी नहीं मिलती जबतक वे संगठित होकर कुछ आंदोलन नहीं छोड़ते । उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम के जलनाविक, समुद्रतट स्थित मछुए इत्यादि हैं ।

### सहकारी संस्थाएं

विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी औद्योगिक कानून के दायरे में आते तो जरूर हैं । किन्तु प्रत्यक्ष कार्यवाही में सरकार तथा कानून उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं—ऐसी शिकायत हर स्थान से आ रही है । कारण भी स्पष्ट है । सहकारिता के आंदोलन को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति है । किन्तु भारत के सहकारिता—आंदोलन में सहकारिता का विशेष अभाव रहने के कारण वह धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा है । यह वास्तविकता है । इस अवस्था में कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित रहीं तो भी उनकी पूर्ति के कारण सहकारी संस्थाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ जायगा, इसलिये जहांतक बने वहांतक उन मांगों को टालने का प्रयत्न करने की इच्छा स्वाभाविक ही है । सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को बहुत बार इस पक्षपातपूर्ण नीति का शिकार बनना पड़ता है । उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीन लेने का विचार भी कहीं—कहीं चल रहा है ।

### अवकाशप्राप्त कर्मचारी

वेतनभोगी होते हुये भी सरकार तथा ट्रेड यूनियन्स के द्वारा उपेक्षित वर्ग अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का है । ग्रेड सिस्टम में इस प्रकार के कर्मचारियों के

लिये एक स्वतंत्र मंत्रालय (Ministry of pensions) है। पिछले २५ वर्ष में ब्रिटेन में पेन्शन की दरों में छः बार उचित परिवर्तन किये गये हैं। पर हमारे देश में ऐसे भी मामले हैं, जिनमें दस वर्ष तक पेन्शन के क्लेम के विषय में निर्णय नहीं हुए। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की समस्या का सर्वांगीण विचार करने के लिये एक उच्चाधिकार आयोग की नियुक्ति करना अत्यावश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार के U. P. Liberalised Pension Rules, 1961 का हम स्वागत करते हैं। किन्तु उसके कारण समस्या का सम्पूर्ण निराकरण नहीं हो सकता।

### मुनीम गुमास्ता

देश में लक्ष लक्ष दुकानों पर काम करने वाले मुनीम-गुमास्ताओं की समस्या अपनी विशेषता रखती है। एकेक दुकान पर नौकरी करने वालों की संख्या बहुत अल्प रहती है—कारखानों के समान अधिक नहीं रहती। कारखानों में प्रायः मालिक-मजदूर संबंधों का स्वरूप अप्रत्यक्ष होता है। दुकानों में ये संबंध सीधे, प्रत्यक्ष रहते हैं। इसलिये इन संबंधों ने 'मानवी-स्पर्श' (Human touch) की कल्पना दुकानों के विषय में अधिक सरलता से की जा सकती है। इसके कारण कुछ कठिनाइयां भी निर्माण होती हैं। कारखानों के मजदूरों की स्थिति, संख्याधिक्य, सामूहिक जागृति, सामूहिक सौदे की शक्ति आदि बातों को ख्याल में रखते हुये उसी पद्धति से बनाया गया 'शाप्स एण्ड कामर्शियल स्टैबिलिजमेंट्स एक्ट' व्यवहारिक जीवन में दुकान-कर्मचारियों को संरक्षण देने में असमर्थ सिद्ध होता है। इसलिये मुनीम गुमास्ताओं की समस्या की विशेषता ध्यान में रखकर तदनुसार इस एक्ट के ढांचे में मूलग्राही परिवर्तन होना चाहिये।

### जनसेवा संस्थाओं के कर्मचारी

हास्पिटल्स आदि जनसेवा संस्थाओं के कर्मचारियों की अपनी अलग श्रेणी है। इनके कर्मचारी उत्तम नागरिक के नाते इस सत्य को भलीभाँति समझते हैं कि वे व्यवहारिक अर्थ में 'औद्योगिक कर्मचारी' नहीं। संचालक जबतक प्रचारकी वृत्ति (Missionary zeal) से काम करेंगे, तब तक कर्मचारी भी उसी तरह का प्रतिसाद देते रहेंगे—इसमें संदेह नहीं। किन्तु संचालकों को भी समझ लेना चाहिये कि संस्थाएं जनसेवार्थ हैं, किन्तु वहां कर्मचारियों के नाते काम करने वालों का प्रथम उद्देश्य 'जीवकोपार्जन' है—जनसेवा नहीं। किसी महान् उद्देश्य के लिये त्यागपूर्वक जीवनदान करनेवाले जनसेवकों में इन कर्मचारियों की गिनती नहीं हो सकती। अतएव इन्हें वे सारे अधिकार तथा संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है जो 'औद्योगिक' कर्मचारियों को प्राप्त हैं। Employees State Insurance

Corporation Employees Union के एक मामले में निर्णय देते समय पश्चिम बंगाल हायकोर्ट ने हाल ही में घोषित किया है कि, कोई भी संस्था, 'उद्योग' (Trade or Industry) है या नहीं यह निश्चित करने की कसौटी 'मुनाफा' या 'मुनाफे की इच्छा' यह नहीं। इसलिये इन संस्थाओं के संचालक-कर्मचारी सम्बन्धों का स्वरूप 'औद्योगिक' ही है।

### स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं

स्थानीय स्वराज्य के क्षेत्र में भी मेयर, म्युनिसिपल अध्यक्ष तथा तत्सम अन्यान्य श्रेष्ठी स्वयं अपने को अपने अपने क्षेत्र के जनसेवक क्रमांक १ मानकर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के कर्मचारियों को अपने सहकार्यकर्ता समझे तो 'औद्योगिक कर्मचारी' होते हुये भी कर्मचारी सेवाभाव से कुछ मात्रा में प्रेरित हो सकेंगे। किन्तु इन कर्मचारियों को स्थानीय राजनैतिक दलबंदी के शिकार बनाना किसी के भी लिये सम्भव नहीं, इसलिये औद्योगिक कानून के अलावा स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं से सम्बन्धित अधिनियमों में भी उचित सुधार होना आवश्यक है।

### व्यवस्था कार्यालय विभाग

एक ही व्यवसाय में काम करने वाले लोगों में अधिक चिल्लाहट करनेवाले अधिक संगठित-वर्ग को न्याय प्राप्त होने की व्यवस्था हो और उसी व्यवसाय के असंगठित वर्ग पर अन्याय जारी रहे-यह बात शोभादायक नहीं। वर्किंग जर्नेलिस्ट्स का मामला सुप्रसिद्ध ही है। उन्हें न्याय मिलना ही चाहिये। किन्तु उनके साथ ही व्यवसाय की सेवा करने वाले व्यवस्था विभागीय कर्मचारियों की सुनवाई न हो यह बात कहां तक तर्क संगत है? सम्पूर्ण वृत्तपत्र व्यवसाय के लिये वेतन-आयोग की नियुक्ति हो जाती, तो यह दोष निर्माण न होता। शिक्षा क्षेत्र में भी यही दृश्य दिखाई देता है। अध्यापक-प्राध्यापकों के वेतन स्तर सन्तोषजनक हैं-ऐसा नहीं कहा जा सकता। किन्तु कम से कम उनके विषय में कुछ सोच विचार तो हुआ है। उन्हीं शिक्षा-संस्थाओं में सेवा करने वाले कार्यालय विभागीय कर्मचारियों के विषय में भी एक साथ विचार करना असम्भव क्यों प्रतीत हुआ? उनकी आवाज कमजोर है, इसीलिये। अन्य कई संस्थानों में भी व्यवस्था विभागीयों की स्थिति इसी तरह की है।

### शिक्षा क्षेत्र

इस देश में 'गुरु' का महत्व सबसे अधिक माना जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि आज उन लोगों को 'ट्रेड यूनियन' के रूपमें संगठित होने के लिये बाध्य

होना पड़ रहा है। प्रांत-प्रांतसे समाचार आते हैं कि उन्हें भी आन्दोलन छेड़ना आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश में गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों की मांग है कि वेतनस्तर तथा सेवा की शर्तों दोनों की दृष्टि से उन्हें सरकारी शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर लाया जाय। यह मांग सर्वथा उचित है। किन्तु इस प्रश्न का विचार अधिक मूलग्राही पद्धति से होना आवश्यक है। वैसे भी, शिक्षा क्रम तथा अंतःशासन व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में आज 'अराजकता' ही है। प्राथमिक शिक्षा क्रम तथा उससे सम्बन्धित विषयों का विचार करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक कमीशन नियुक्त होना चाहिये ऐसा कुछ शिक्षा-शास्त्रज्ञों का सुझाव है। वैसे ही, प्राथमिक शिक्षा से लेकर सर्वोच्च शिक्षा तक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आदि का विचार सामान्य से (Integrated) होना चाहिये यह भी अभिप्राय उन्होंने प्रकट किया है। उसी पद्धति से यह भी सोचा जाना चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं से लेकर सर्वोच्च शिक्षा संस्थाओं तक सभी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के वेतन स्तर तथा सेवा की शर्तों के विषय में स्थूल रूप से मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वकष कमीशन की नियुक्ति व्यवहार्य तथा उपयुक्त हो सकती है या नहीं? मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित होने के पश्चात् स्थल काल परिस्थिति के अनुसार विवादग्रस्त विषयों का निर्णय करना अधिक सरल हो जायगा।

सबसे अधिक चिन्तनीय विषय यह है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें शिक्षक-प्राध्यापकों के लिये ट्रेड यूनियनिज्म का स्वीकार करना अनावश्यक हो जाय? सभी सम्बन्धित पक्षों की मानसिक क्रांति के आधार पर ही यह हो सकता है। तब तक शिक्षक प्राध्यापकों का यह कर्तव्य तथा अधिकार भी है कि औद्योगिक कर्मचारी के समान ही संगठित बन वे सामूहिक सौदे के लिये शक्तिसंचय करते रहे।

### टेक्नीकल तथा सुपरवायजरी स्टाफ

टेक्नीशियन्स का महत्व बढ़ते हुए औद्योगीकरण में बढ़ता ही रहेगा। टेक्नीकल तथा सुपरवायजरी स्टाफ की भूमिका ट्रेड यूनियन आन्दोलन की दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होनी चाहिये। विशेषतः मान्यता प्राप्त या किसी अन्य यूनियन के द्वारा प्रतिनिधि होने के अधिकार के विषय में त्वरित निर्णय होना चाहिये।

### सीजनल उद्योग

जिन उद्योगों का स्वरूप स्वाभाविक रूप से सीजनल हैं उनके श्रमिकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे, जीनिंग प्रेस इ.। चीनी उद्योग में

सीजन के पश्चात् रिटर्निंग अलाउन्स मिलता है। इसी तरह की कानूनी व्यवस्था या अन्य कुछ Subsidiary Industry का निर्माण आदि इन श्रमिकों की आवश्यकता है।

### ठीकेदारी प्रथा

ठीकेदारी प्रथा के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की अवस्था 'धोबी का कुत्ता—न घरका न घाटका' ऐसी है। हमारे प्रधान मन्त्री भी ठीकेदारी प्रथा के विरोध में अभिप्राय प्रकट कर चुके हैं। तो भी इसकी समाप्ति की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारीगण हाथ में नहीं लेते—यह आश्चर्य है। यह प्रथा अविलम्ब समाप्त होनी चाहिये और जब तक समाप्ति का कार्य पूरा नहीं होता तब तक ठीकेदारों के मजदूरों की सभी सुविधाओं तथा अधिकारों के लिये प्रमुख मालिक (Principal Employer) जिम्मेदार रहेगा—ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिये।

### घरेलू कर्मचारी

आज के औद्योगिक कानून का जो ढांचा है उसके सहारे घरेलू कर्मचारियों को उचित संरक्षण देना व्यवहारतः असम्भव है—ऐसा हमारा विश्वास है। उनके लिये कौन सी रचना उपयुक्त सिद्ध होगी इस पर भारतीय मजदूर संघ सोच-विचार कर रहा है।

### बड़े उद्योगों की छोटी श्रेणियां

कानून की दृष्टि से सुरक्षित होते हुए भी व्यवहारतः असुरक्षित अवस्था—बड़े उद्योगों की छोटी श्रेणियों (Categories) में स्थित श्रमिकों की है। उन्हें ट्रेड यूनियनिज्म के सभी अधिकार प्राप्त हैं। संगठित शक्ति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक ही उद्योग के सभी श्रेणियों में स्थित सभी श्रमिक एक ही यूनियन में सम्मिलित हों। किन्तु व्यवहार में अनुभव होता है कि ऐसी सर्वसंग्राहक यूनियन में अधिकतर चर्चा तथा चिन्ता बड़ी श्रेणियों, की ही होती है। कम संख्या रखने वाले छोटी श्रेणियों के श्रमिक तथा उनके प्रश्न आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसका कारण संख्याबल का अभाव है। अब उनके लिये क्या मार्ग है? बड़ी यूनियन में उनकी ध्वजा नहीं की जाती और छोटी छोटी श्रेणीबद्ध यूनियन्स एक ही उद्योग में अनेक हो गईं तो श्रमिकों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस समस्या का निराकरण किस तरह हो इसका विचार सभी ट्रेड यूनियन नेताओं को करना अपरिहार्य हो गया है।

### अनियमितता की विभिन्न अवस्थाएँ

औद्योगिक संस्थान में प्रवेश पाने के पश्चात् नियमित कर्मचारी की प्रतिष्ठा प्राप्त होने तक श्रमिक को कई बार विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। औद्योगिक व्यवस्था की दृष्टि से यह अनुचित नहीं है। किन्तु भारत में श्रम बेचने के लिये उत्सुक व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। श्रम को खरीदने वालों की आवश्यकताएं कम हैं। और फिर अपने श्रम का उचित मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक श्रम को बेचेंगे नहीं ऐसा निश्चय श्रम के विक्रेता नहीं कर सकते। बेकार होने के कारण राह देखने की उनकी शक्ति अतिसीमित है। इस असहाय्यता का अनुचित लाभ उठाकर उत्पादन के खर्च कम करने के हेतु सभी अवस्थाओं में स्थित अनियमित कर्मचारियों पर अन्याय करने की प्रवृत्ति उद्योग-पतियों में दिखाई देती है। अधिक से अधिक समय तक बदली मजदूर को बदली के ही नाते रखने का, टेंपररी को टेंपररी के ही नाते रखने का मालिकों का प्रयत्न विभिन्न उद्योगों में दृष्टिगोचर हो रहा है। Casual श्रमिक के हित की दृष्टि से Decasualisation नाम की कोई औद्योगिक प्रक्रिया है यह मालिकों ने कभी सुना ही नहीं। प्रोबेशनरी कर्मचारी को नियमितता के लाभ से वन्धित रखने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न चलते रखते हैं। Apprentices का अत्यधिक शोषण करके कम वेतन खर्च में अधिक उत्पादन निकालने की चेष्टाएं चारों ओर चल रही हैं। (National Apprenticeship Commitess द्वारा Apprentices को औद्योगिक प्रगति का आधार बनाया जा सकता है—यह बात समझ लेने की इच्छा सम्बन्धित अधिकारियों की नहीं। Apprenticeship Act केवल कागज पर है।) कागज पर कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् भी इन विभिन्न अवस्थाओं में स्थित अनियमित कर्मचारी अपने को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कुछ मात्रा में विवश पाते हैं।

स्पष्ट है कि इन कर्मचारियों के हित में नियम तथा उन पर कार्यवाही अधिक कठोरता से होनी चाहिये।

### संगठित उद्योग

निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के संगठित उद्योगों, व्यवसायों तथा सेवाओं में काम करने वाले श्रमिकों के लिये औद्योगिक कानून उपलब्ध है—वे अपर्याप्त हैं तथा अभागी हैं। तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है कि असंगठित उद्योगों के श्रमिकों की अपेक्षा इनकी ओर सरकार तथा जनता का ध्यान अधिक रहता है। इन श्रमिकों में संगठन भी अधिक है और सामूहिक सौदे की शक्ति भी।

इन सब बातों के रहते हुए भी इनकी अवस्था आज कितनी दयनीय है। फिर असंगठित उद्योगों के श्रमिकों की अवस्था का न वर्णन करना ही उचित है।

संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति आज कैसी है ?

हमें बताया जाता है कि दो पंचवार्षिक योजनाओं के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है। श्रमिकों द्वारा उत्पादन तथा उनकी उत्पादकता भी बढ़ गई है। उद्योगों के मुनाफे बढ़े हैं। लेकिन अपने परिश्रम से बढ़ाये हुए उत्पादन में तथा मुनाफे में समुचित हिस्सा प्राप्त करने का सौभाग्य श्रमिकों को प्राप्त नहीं हुआ। एक तो उत्पादन, उत्पादकता तथा मुनाफा इनके अनुपात में वेतन वृद्धि नहीं हुई और दूसरी ओर जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भीषण वृद्धि हुई है। फलतः रुपयों की परिभाषा में हमारा वेतन बढ़ गया तो भी वास्तविक वेतन घट गया है। क्योंकि रुपये की क्रयशक्ति (Purchasing Power) घट गई है।

असमाधानकारक वेतन वृद्धि के अलावा पारश्रमिक से सम्बन्धित हमारी अन्य मांगों के विषय में भी हमें निराशा ही सहनी पड़ी है। सन् १९३९ के स्तर पर कीमतों को लाना असम्भव है—यह सब जानते हैं। मूल्यों में हुई वृद्धि लगभग स्थायी स्वरूप धारण करने वाली ही है। इसलिये महंगाई भत्ते का एक बड़ा अंश मूलवेतन में विलीन कर उर्वरित अंश को जीवन निर्देशांक (Cost Of living Index) के साथ जोड़ देना—यह हमारी मांग थी। यह बात न्याय्य होते हुए भी सभी उद्योगों तथा सेवाओं में इसको मान लिया गया—ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहां आंशिक रूप से मान भी लिया है वहां अनिच्छा के कारण 'अशुभस्य कालहरणम्' नीति का उपयोग किया गया है। वर्षाऋतु या ग्रीष्मऋतु जितनी नियमिततासे प्रतिवर्ष आता है उतनीही नियमितता से प्रतिवर्ष संगठित उद्योगों में उपस्थिति होने वाला संघर्ष बोनस के विषय में है। इस विषय में तरह तरह की गलत धारणायें फैलाई गई हैं। बोनस याने मुनाफे में साझेदारी—ऐसा प्रचार किया गया। मुनाफा प्रायः कहीं दिखता ही नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में हुआ मुनाफा दिखाना या न दिखाना मालिकों की इच्छा का खेल है। बोनस का स्वरूप केवल यही नहीं है। जीवन-वेतन (Living Wage) और प्रत्यक्ष वेतन (Actual Wage) में जब तक अन्तर है तब तक विलम्ब से दिया गया, 'पूरक वेतन' यह स्वरूप बोनस का रहता है। प्रत्यक्ष वेतन जब सीजन वेतन के स्तर पर आ जायेगा तब तक बोनस का स्वरूप 'मुनाफे में साझेदारी' ऐसा बन जाएगा अन्यथा नहीं। तब तक बोनस यह पूरक वेतन ही है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर बोनस कमीशन कार्य चलायेगा तभी उसे सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं।

श्रमिकों को इस विषय में कुछ मौलिक विचार करने की आवश्यकता है। लड़ाई लड़नी ही है तो वार्षिक बोनस के सामयिक प्रश्न पर लड़े या मूल वेतन वृद्धि की स्थायी समस्या पर ? यद्यपि बोनस की मांग को हमें रखना ही होगा, तथापि हमारा आग्रह मूल वेतन में वृद्धि होने पर रहे इसी में लाभ है।

सत्ता के हस्तान्तर के पूर्व तथा उसके पश्चात् हमारे नेताओं द्वारा दिये गये उदार आश्वासन; दि. ६ अप्रैल १९४८ को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत Industrial Truce Resolution; दि. ३० अप्रैल १९५६ का सरकार का Industrial Policy Resolution; Fair Wages Committee का सर्व सम्मति से स्वीकृत प्रतिवेदन; भारतीय संविधान की धारा ४३ द्वारा दिया हुआ जीवन वेतन (A Living Wage) विषयक आश्वासन; सन १९५४ के दिसम्बर में लोकसभा द्वारा स्वीकृत "समाजवादी समाज रचना का आदर्श; प्रथम तथा द्वितीय पंचवार्षिक योजनाओं में निहित सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य; दोनों निर्वाचनों के समय शासक दल द्वारा अपने घोषणापत्रों में खींचे हुए सम्भाव्य प्रगति के चित्र; आदि सभी बातों के पश्चात् भी मजदूरों की स्थिति दिनप्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है।

भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि सर्वप्रथम 'राष्ट्रीय न्यूनतम' निश्चित होना चाहिये। १५वें श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत 'आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम वेतन' की कल्पना के अनुसार आज की परिस्थिति में यह राष्ट्रीय न्यूनतम रु. १४५ होता है—ऐसा भारतीय मजदूर संघ ने हिसाब लगाया है। आजकी परिस्थिति में फेअरवेज रु. २२५ के लगभग आता है। वास्तविकता यह है कि वेतन निर्धारण के लिये आवश्यक तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी आज उपलब्ध नहीं। यह जानकारी सबके लिये उपलब्ध कराना यह सरकार की जिम्मेवारी है। उसी प्रकार 'पे कमीशन', तथा विभिन्न उद्योगों के वेज बोर्डों के अवाडों की त्वरित तथा सम्पूर्ण कार्यवाही का भी दायित्व सरकार का ही है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी; बैंक के कर्मचारी; कपड़ा टेक्सटाइल, चीनी उद्योग तथा सीमेण्ट उद्योगमें काम करनेवाले श्रमिक, आदि लोगों का अनुभव इस विषय में निराशाजनक ही है। सरकार को इस नीति में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहिये।

वेतन विवाद की स्थायी सुलझन के लिये 'स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग' की स्थापना अपरिहार्य है।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से Employees State Insurance Scheme, प्राविडेन्ट फण्ड योजना, ग्रेचुइटी, Workmen's Compensation, Involuntary Unemployment Compensation, Retrenchment Comp-

ensation, तथा Old Age Pension, के विषय में भारतीय मजदूर संघ के सुझाव तथा "सर्वकष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था" निर्माण की भारतीय मजदूर संघ की मांग सरकार तथा जनता के सामने रखने का कार्य आपने इसके पूर्व ही किया है, जिसके लिये मजदूरों ने कृतज्ञता प्रकट की है।

औद्योगिक गृह निर्माण योजना के विषय में सरकार की असफलता; विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अपर्याप्तता; सवेतन छुट्टियों की व्यवस्था की असमाधानकारकता; जहां धोखा हो सकता है वहां काम करने-वाले मजदूरों की काम के घण्टों के बारे में शिकायत; काम का बोझ निरन्तर बढ़ते रहने के कारण श्रमिकों का असन्तोष; रेशनलायझेशन के विषय में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये हुये सुझाव पर व्यवस्थित कार्यवाही न होने के कारण श्रमिक तथा उद्योगों की हुई हानि तथा फलस्वरूप प्रतिक्रिया; विभिन्न कानूनों का तथा Codes का मालिक तथा स्वयम् सरकार द्वारा उल्लंघन और उसकी श्रमिक क्षेत्र में प्रतिक्रियायें; सहस्वामित्व (Co-Partnership) के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के विषय में मालिकों की अनिच्छा तथा सरकार की उदासीनता; Whitley Councils का अनुकरण करते हुए कोई भी संयुक्त सलाहकार मशीनरी भारत में निर्माण हुई तो उसको असफल बनाने के लिये अनुकूल ऐसी सरकार की मनोरचना; हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के तथा Outsiders पर रोक लगाने के सरकारी निश्चय के कारण सभी लोकतन्त्रवादी क्षेत्रों में निर्माण हुआ क्षोभ; त्रिदलीय सम्मेलन के सर्व सम्मति से स्वीकृत प्रस्तावों को अन्तिम तथा निर्णायक न मानने के सरकारी आग्रह के कारण उन प्रस्तावों की घटी हुई प्रतिष्ठा; आदर्श उद्योगपति के नाते स्वयम् केन्द्रीय सरकार ने अपना व्यवहार निर्दोष न रखने के कारण निजी क्षेत्र में श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने के विषय में उद्योगपतियों का बढ़ा हुआ साहस; इत्यादि बातें सिद्ध करती हैं कि सरकार की तथाकथित प्रगमनशील, श्रमनीति कहां तक वास्तव में प्रगमनशील है ?

### चक्रव्यूह

भारतीय मजदूर की आज की अवस्था चक्रव्यूह में स्थित अभिमन्यु के समान है। प्रतिकूल परिस्थितियों तथा विरोधी शक्तियों ने उसे घेर लिया है। बड़े उद्योगों के ढांचे का, औद्योगिक संबंधों का तथा औद्योगिक कानून का अभारतीय स्वरूप; राष्ट्रशरीर के अन्यान्य अवयवों के अंगांगीभाव के विषय में नेताओं का घोर अज्ञान और उसके फलस्वरूप श्रमिक तथा मालिक, उद्योग और

राष्ट्र-इन सबके हितों की एकात्मता के विषय में भी उतना ही भ्रम अज्ञान; राष्ट्रहित के स्थान पर व्यक्ति स्वार्थ को ही जीवन का अन्तिम उद्देश्य मानने वाले मालिकों का अदूरदर्शी व्यवहार; दुष्ट मालिक तथा श्रमिक विरोधी शासन के नाते कार्य करने वाली सरकार की श्रमनीति; औद्योगिक क्षेत्र तथा सम्बन्धों के विषय में जनसाधारण की उदासीनता; स्वयम् श्रमिकों में जागृति तथा एकता का अभाव; और उनकी विवशता का अनुचित लाभ व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ के लिये उठाने वाले नेताओं का प्रभाव-यह है इस चक्रव्यूह का स्वरूप ।

### भारतीय मजदूरों का आशा केन्द्र

इस चक्रव्यूह से सुरक्षित तथा विजयी होकर बाहर निकलने का सीधा और सरल मार्ग मजदूरों को दिखाने का दायित्व इस प्रतिनिधि सभा का है । आपके प्रस्ताव, निर्णय तथा मार्ग दर्शन की प्रतिक्रिया मजदूर क्षेत्र कर रहा है । अनुभव के आधार पर उन्हें विश्वास प्राप्त हो चुका है कि किसी भी परिस्थिति में मजदूरों का सुयोग्य नेतृत्व करने की क्षमता भारतीय मजदूर संघ की है । इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवाकार्य में सफल होने का सामर्थ्य श्री परमेश्वर आपको प्रदान करे-यह विनम्र प्रार्थना है ।

इस पंचम वार्षिक अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे—श्री श्रीनारायण टंडन, बी० ए०, एल० एल० बी० (वकील) तथा प्रदेशाध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण सक्सेना, वकील अध्यक्षता कर रहे थे ।

भारतीय मजदूर संघ न तो दक्षिण पंथी है और न वामपंथी । उन लोगोंके लिये, जो वास्तवमें 'राष्ट्रवाद' से उत्पन्न आर्थिक व्याख्याओं से अनभिज्ञ है, भारतीय मजदूर संघ किसी भी वाद से बधा न होकर 'वास्तववादी' है ।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

के

मन्त्री द्वय



ज्ञानचन्द्र द्विवेदी एडवोकेट (हाईकोर्ट प्रयाग)



राजामोहन अरोड़ा (आगरा)



कोषाध्यक्ष

भगवतशरण रस्तोगी (कानपुर)



॥ श्री ॥

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सम्मेलन  
के अवसर पर दिनांक १२ मई, ६२ के दिन  
देहरादून (जैन धर्मशाला)  
में महामंत्री

**श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी**

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

प्रिय प्रतिनिधि बन्धुगण !

आज इस सम्मेलन के शुभ अवसर पर आप सब बन्धुओं का स्वागत करते हुये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश के श्रमिक क्षेत्र में स्वस्थ तथा सुदृढ़ ट्रेड यूनियन संगठन खड़ा करने का श्रेय आप ही को है। राष्ट्रवाद के आधार पर रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में आप मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ही भारत का पहला श्रमिक संगठन है जो कि श्रमिक क्षेत्र को राजनीति से अलग रखते हुये निःस्वार्थ भाव से केवल मजदूरों की मलाई के ही लिए श्रमिक संगठन तथा आन्दोलन का कार्य कर रहा है। उस संगठन के आप सब सिपाही तथा सेनानी हैं। इसीलिए आपके इस सम्मेलन की ओर सम्पूर्ण प्रदेश के श्रमिक आशाभरी दृष्टि से देख रहे हैं।

किंतु यह हमें ध्यानमें रखना होगा कि श्रमिक समस्या यह संपूर्ण देशकी आर्थिक समस्या का एक अंग मात्र है। राष्ट्रीय, आर्थिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि पर ही श्रमिक समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। इस तरह का सर्वकष (Integrated) विचार न हुआ तो समस्या का सही हल निकल नहीं सकता।

### परिस्थिति की भीषणता

देश की आर्थिक प्रगति के चक्र को आगे बढ़ाने में मजदूरोंने पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। मैं इसके पूर्व ही बता चुका हूँ कि किस तरह पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन तथा मुनाफा प्रतिवर्ष अधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं। हड़ताल के कारण नष्ट हुये काम के घण्टों की संख्या प्रतिवर्ष अधिकाधिक घटती जा रही है। मूल्यों के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, पर मजदूरों का वास्तविक वेतन घटता जा रहा है और दोनों पंचवार्षिक योजनाओं के बावजूद बेकारी तथा अर्द्धबेकारी अधिकाधिक भीषण स्वरूप धारण करती जा रही है। गत निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को अखिल भारतीय स्तर पर ४५ प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में राज्यीय स्तर पर ३५ प्रतिशत से कुछ कम मतदान प्राप्त हुआ—यह घटनासूचक है। सामान्यतः भारतवर्ष की और विशेषतः उत्तर प्रदेश की जनता ने इस मतदान के द्वारा सरकारी दल की आर्थिक नीतियों के विषय में मानों अविश्वास का प्रस्ताव ही पारित कर डाला है। इससे सचेत होकर अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाना सरकारी दल का कर्तव्य है। अन्यथा बेकारी तथा मूल्यों की असाधारण वृद्धि के कारण सर्वसाधारण में अशान्ति फैलने की सम्भावना बढ़ेगी।

### आर्थिक प्रगति का दावा

जहाँकि एक ओर साधारण जनता दिन प्रतिदिन गिरती हुई आर्थिक अवस्था का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर सरकारी नेता तथा उनके स्तुतिपाठक हमारे सामने ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं जिन्हें देख कर हमें विस्मय हो जाता है। हमें बताया गया है कि दो योजनाओं के काल में हमारी राष्ट्रीय आय में ४३.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति (Per Capita) आय में १८.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। अर्थात् इस दशक में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की वार्षिक औसत १.८ प्रतिशत रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में ३४ प्रतिशत वृद्धि होगी—ऐसी आशा की गई है। प्रति व्यक्ति आय में तृतीय योजना के कारण १८ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक वृद्धि होगी ऐसा भी सोचा गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में ऐसा दिखेगा कि तृतीय-चतुर्थ योजना काल में राष्ट्रीय आय में ६५ से ७० प्रतिशत वृद्धि हो गयी है। यह सुनकर किसी को भी हर्ष होगा कि १९७०-७१ में प्रति व्यक्ति आय ५००६० से अधिक हो जायेगी, कितनी आकर्षक बातें हैं ये।

### दीर्घ सूत्री विनश्यति

भावी प्रगति का विचार करते समय हमें यह तो अवश्य मान लेना पड़ेगा कि किसी भी देश की आर्थिक नियोजन कुछ अंशों में दीर्घकालीन रहना आवश्यक हो जाता है। किन्तु यह भी आवश्यक है कि नियोजन पूर्णरूपेण दीर्घसूत्री न हो अन्यथा सामान्य नागरिकों के मन में 'उमर खैयाम' के समान यह विचार प्रबल होगा कि "Take the cash and waive the rest" हमारे योजनाकर्ताओं को Keynes की यह चेतावनी स्मरण में रखनी चाहिये—“If economics is a long period affair, it is well to remember that in the long period we are all dead” एक ओर हम सन् १९७१ में प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति रु० ५०० की आय पर आनन्द मनायें और दूसरी ओर उसी समय दिल्ली जैसे केन्द्रीय राजधानी में सन् १९६१ के दिसम्बर के जाड़े के कारण हमारी आंखों के सामने ५०० व्यक्तियों की मृत्यु हो जाय, यह बात योजनाकर्ताओं की दीर्घ-सूत्रता का परिचायक है, न कि दूरदर्शिता की। अनिश्चित तथा अविश्वसनीय अनुमान के आधार पर खींचे गये भावी प्रगति के सुरम्य चित्र के विषय में जितना ही कम कहा जाय उतना ही अच्छा।

### योजनाकालीन प्रगति का मूल्यमापन

भूतकाल में जो प्रगति या परागति हुई, उसका मूल्यमापन करना सम्भवनीय है। पहले तो हम यह समझलें कि आर्थिक अवस्था में सुधार यह बात आत्मनिष्ठ अनुभव की है। गत निर्वाचन के पूर्व The Indian Institute of (Gallup) public opinion ने एक All India Political Poll संगठित किया था। उसमें पूछा गया था कि सन् १९५२ के आम चुनाव के पश्चात् आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है या बिगड़ गई है? उत्तर देने वाले बहुतांश पढ़े लिखे व्यक्ति ही थे। तो भी प्रश्न के उत्तर में केवल २६.१ प्रतिशत लोगों ने बताया कि 'उनकी स्थिति सुधर गई है।' जब सुशिक्षित व्यक्तियों की यह बात है तो फिर ग्रामीण अशिक्षित जनता के बारे में क्या कहा जाय।

### वास्तविकता का दर्शन

सरकारी आंकड़ों को भी देखा जाय तो पता चलता है कि भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में १९ प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनके परिवार प्रतिमास ५० रु० से कम व्यय करते हैं। प्रतिभास प्रति परिवार रुपये ५१ से १०० तक व्यय कर

सकने वालों की संख्या (कुल जनसंख्या की) ३६.७ प्रतिशत है। याने प्रतिमास प्रति परिवार १०० रु० से कम व्यय करने वालों की संख्या ५६ प्रतिशत है। आज की मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुये १०० रु० प्रतिमास की सीमा किसी भी परिवार के लिये बिल्कुल अपर्याप्त है। किसी भी देश में ५६ प्रतिशत जनसंख्या दरिद्र रेखा के नीचे रहते हुये जीवन बिताये—यह घटना प्रगति की निर्देशक नहीं है। उसी तरह प्रतिमास प्रति परिवार १०१ रुपये से १५० रु० तक व्यय कर सकने वालों की संख्या १८.४ प्रतिशत तथा १५१ से ३०० रु० तक की संख्या १८.९ प्रतिशत है। केवल ७ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि अपने परिवार के लिये प्रतिमास ३०० रु० या इससे अधिक व्यय कर सकते हैं। पंचवार्षिक योजनाओं की सफलता पर जितना प्रभावी भाष्य ये सूक आंकड़े कर सकते हैं उतना विरोधी दल का कोई नेता भी नहीं कर सकेगा।

### तुलनात्मक आलेख

सरकारी प्रवक्ताओं के कथनानुसार दो पंचवार्षिक योजनाओं के काल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व प्रगति की है। किन्तु पिछले दशक में विभिन्न देशों द्वारा की हुई आर्थिक प्रगति का आलेख निकाला जाय तो सरकार का यह दावा सत्य है—ऐसा कहना कठिन हो जाता है। सन् १९५०-५९ इस काल खण्ड में भारत की सर्वकश आर्थिक प्रगति का वार्षिक प्रतिशत ३.० रहा है, जहां कि इंडोनेशिया तथा थाईलैंड का वार्षिक प्रतिशत ४.०, घाना, साउथ अफ्रीकन युनियन तथा स्पेन का ५.० है, तुर्किस्तान, फिलीपाइन्स, ब्राजील तथा बर्मा का ६.० प्रतिशत, ईराक का ९.० प्रतिशत तथा इजराइल का ११.० प्रतिशत रहा है। स्मरण रहे कि तुलना के लिये हमने अमेरिका, रूस आदि देशों के उदाहरण नहीं दिये हैं। इसी कालखण्ड में हुई नवोदित राष्ट्रों की प्रगति का ही हम विचार करें तो पता चलता है कि योजनाओं के फलस्वरूप हुई हमारी “न भूतो न भविष्यति” भौतिक प्रगति यह एक स्वप्नरंजन मात्र है।

### उचित नेतृत्व का अभाव

केवल स्वप्न रंजन के आधार पर मजदूरों के मन में योजनाओं की यशस्विता के विषय में उत्साह निर्माण करना असम्भव है। भारतीय मजदूर देशभक्त है। वह जानता है कि उत्पादन वृद्धि की लड़ाई में वह राष्ट्र का एक सैनिक है। इस कार्य के लिये पूरी शक्ति लगाने की उसकी तैयारी है। वह यह

भी जानता है कि जब तक उत्पादन अधिकतम नहीं होता तब तक समान वितरण का नारा लगाने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। "अधिकतम उत्पादन तथा उसका समान वितरण" यही आर्थिक उत्कर्ष का मार्ग है। इस हेतु चाहे जितना परिश्रम उठाने की भारतीय मजदूरों की सिद्धता है। किन्तु वह सर्वप्रथम यह जानना चाहता है कि उसका पसीना जिस योजनाओं के लिये बहाया जायगा वह वास्तविकतावादी तथा व्यावहारिक हैं या नहीं। केवल कल्पित उच्चपदस्थ नेताओं के Fads को पूरा करने के लिये या पुस्तकीय सिद्धांतों के विषय में उनके दुराग्रहों को चरितार्थ करने के लिये वह परिश्रम नहीं करना चाहता। वास्तविकता की कमी की पूर्ति कोरे नारे नहीं कर सकते। जो सिद्धांत अशास्त्रीय सिद्ध हुये हैं वे किसी को भी कार्य की प्रेरणा नहीं दे सकते। प्रेरक शक्ति के नाते कार्ल मार्क्स या लेनिन आज की दुनिया में उतने ही अनुपयुक्त हैं जितने की एडमस्मिथ या आल्फ्रेड मार्शल। इन प्रेषितों की जय-जयकार करने वाले देश भी व्यवहारतः उनके सिद्धांतों का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में उन्हीं त्याज्य पुस्तकीय सिद्धांतों का स्मरण दिला कर मजदूरों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सकता। मजदूर अधिकतम परिश्रम कर सकता है लेकिन उसको उचित ढंग का आवाहन किया जाना चाहिए। सितार उत्कृष्ट स्वर का निर्माण कर सकती है, लेकिन उसकी तार उचित स्थान पर छेड़ी जानी चाहिये। इस तरह का उचित आवाहन करने की क्षमता सरकारी नेतृत्व में नहीं है।

### स्वयंप्रतिमत्व का अभाव

परायों का अन्धानुकरण एवं स्वयं प्रतिमत्व का सम्पूर्ण अभाव ये दो हमारे सरकारी नेतृत्व की विशेषतायें हैं। श्रमिक क्षेत्र का ही उदाहरण लीजिये। आजकल बताया तो यह जाता है कि सत्ता के हस्तान्तरण के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिये कितने ही नये कानून बनाये हैं तथा नई योजनायें प्रारम्भ कर दी हैं। किन्तु वास्तविकता क्या है? राज्य श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन की परिपाटी की आज प्रशंसा हो रही है किन्तु लोग भूल गये कि यह परिपाटी अंग्रेज सरकार ने ही द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के पश्चात् निर्माण की थी। त्रिदलीय सम्मेलनों की कितनी चर्चा होती है, किन्तु त्रिदलीय विचार विमर्श का प्रारम्भ अंग्रेज सरकार ने ही सन् १९४२ में कर दिया था। कामदिलाऊ योजनाओं की सफलता पर सरकारी नेता स्वयं अपने को सर्टीफिकेट प्रदान करते हैं किन्तु इस योजना का सूत्रपात सन् १९४५ में ही किया गया था। आजकल

जितने औद्योगिक कानून पारित हुये हैं उनमें से बहुतांश तथा महत्वपूर्ण कानून सन् १९४६ से १९५२ तक के काल में पारित हुये हैं। इन सबका आधार अंग्रेज सरकार द्वारा सन् १९४६ में बनाया गया वह पंचवार्षिक कार्यक्रम था, जिसमें श्रमिकों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिये कौन से कानून बनाने चाहिए— इसका विचार किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की ये बातें केवल उदाहरण के नाते यहां प्रस्तुत की जा रही हैं। वैसे तो योजना तथा विचार के सभी क्षेत्रों में अवस्था एक जैसी ही है। इसीलिये बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी योजनायें श्रम प्रधान न बनते हुए धन प्रधान बन रहीं हैं और ग्राम प्रधान भारत की विशेषताओं को भूलकर योजनाकर्ता जड़ उद्योगों को भारतीय अर्थ रचना का आधार बनाते जा रहे हैं।

### वास्तविकता से विमुख

शहरी मजदूरों से सम्बन्धित कानून बनाते समय जिस प्रवृत्ति का परिचय हमारे शासकों ने दिया है, उसी का दर्शन ग्राम विषयक नीतियों में भी होता है। खेतिहर मजदूर, किसान, कारीगर आदि २ सब मिलकर समग्र ग्रामीण जीवन का निर्माण तथा निर्वाह करते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याएं अपनी विशेषताएं रखती हैं और समूचे देश के जीवन में उनका अतीव महत्वपूर्ण स्थान है। केवल श्रम शक्ति की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा दिखाई देता है कि सन् १९५१ से सन् १९६१ तक भारत की श्रम शक्ति में २ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों की भर्ती हो गई, जिसमें से ३० लाख विविध उद्योगों में, ९० लाख विविध सेवाओं में तथा १ करोड़ ६० लाख कृषि जीवन में लग गये हैं। मतलब यह है कि पिछले दशक में बढ़ी हुई श्रम शक्ति का ५० प्रतिशत से अधिक हिस्सा कृषि जीवन पर ही केन्द्रित हुआ। सन् १९६१ में हमारी कुल श्रमशक्ति १७ करोड़ १० लाख की थी, जिसमें से ११ करोड़ ६० लाख कृषि जीवन में, २ करोड़ उद्योगों में तथा ३ करोड़ ५० लाख विविध सेवाओं में स्थित हैं। दो पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी स्थिति यह है कि कुल राष्ट्रीय आय के १५ प्रतिशत से कुछ कम का श्रेय संगठित उद्योगों को है, वैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य सफल भी हो जाय तो भी कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या देश में ७० प्रतिशत रहेगी। इन सब तथ्यों से पता चलता है कि ग्राम विभाग का महत्व भारत की किसी भी योजना में कितना रहना चाहिये। किन्तु भारत को पश्चिम की कार्बन कापी बनाने के प्रयास में हमारे नेताओं ने इस महत्व की

जानबूझ कर उपेक्षा की है। फलस्वरूप योजनाएं तो वास्तविकता से कोसों दूर रही हैं, किन्तु राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमारी प्रचण्ड ग्रामीण श्रम शक्ति को हम जागृत तथा क्रियाशील नहीं बना सके। हमारे नेता तथा योजनाकर्ता धरती पर चलना नहीं चाहते इसका यह सबसे बड़ा प्रमाण है।

### शक्ति जागृति का संकेत

भारतीय मजदूरों की भुजाओं में महान कर्मशक्ति निहित है। उचित नेतृत्व प्राप्त हुआ तो वे राष्ट्र निर्माण के कार्य की धुरा अपने बलिष्ठ स्कन्धों पर वहन कर सकते हैं। किन्तु इस प्रचण्ड शक्ति को क्रियाशील बनाने में हमारा आज का नेतृत्व असफल सिद्ध हुआ है। अति मूल्यवान कोष हाथ में तो आया है किन्तु जानते नहीं वह संकेत (Code word) जिसके सहारे उसे खोला जा सकता है। गुफा के सिल द्वार के सम्मुख खड़े हुये 'अलाहीन' के समान हमारे नेताओं की भी अवस्था है। विस्मरण के कारण विह्वल होकर, मोहवश वे कई आकर्षक शब्दों का उपयोग करते जा रहे हैं। किन्तु यह सिल द्वार तब तक खुलने वाला नहीं जब तक उस एकमात्र विशिष्ट सांकेतिक शब्द का उच्चारण उसके सम्मुख नहीं किया जाता। वह सांकेतिक शब्द है 'भारतीयत्व'। इस 'भारतीयत्व' का पुनः साक्षात्कार कर, भारतीय परम्पराओं के आधार पर विद्यमान भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये भारतीय तंत्रविद्या का स्वयंप्रतिमत्व से विकास कर भारतीय अर्थ रचना का जब नवनिर्माण उत्क्रान्त होगा तो उसे सफल बनाने के लिये भारतीय प्रकृति के नेताओं के आवाहन पर भारतीय मजदूर अपने प्राणों तक की बाजी लगाने के लिये भी सिद्ध होगा—इसमें संदेह नहीं।

राष्ट्र-हित, औद्योगिक शान्ति, मजदूर समस्याओं का निराकरण एवं देशद्रोही तत्वों से मजदूरों को बचाने की भूमिका लेकर भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक क्षेत्र में पदार्पण किया है।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के षष्ठ वार्षिक अधिवेशन  
के अवसर पर गोरखपुर ( पुस्तकालय भवन नगरपालिका )

में दिनांक १६ अक्टूबर, ६२ को स्वागताध्यक्ष

## श्री रामकुवेर लाल का भाषण

मैं किन शब्दों में अपना हर्ष प्रकट करूँ कि आज मुझे उन नगर निवासियों की ओर से आदरणीय श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी तथा आप सब बंधुओं का स्वागत करके कृतार्थ होने का सुअवसर मिला। वास्तव में यह हम सबके लिये परम सौभाग्य का विषय है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में व्याप्त इस संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सब बन्धु जिनमें से कई अखिल भारतीय ख्याति के लोग हैं, इस नगर में पधारे और अपने दर्शन तथा विचारों का आस्वादन कराने का शुभ अवसर प्रदान किया।

### ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

संघ के अधिवेशन तो विभिन्न स्थानों पर होते आये हैं और आगे भी होते रहेंगे परन्तु इस समय इस स्थान पर इस अधिवेशन का सम्पन्न होना मुझे एक दैवी संकेत ही प्रतीत होता है। आप लोगों को कदाचित्त विदित ही होगा कि इस नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाभारत के उस प्रसंग से संबद्ध है जिसमें इसी स्थान पर पंच पांडवों द्वारा राजा विराट की गायों की दुराचारी कौरवों से रक्षा की गई थी। इस प्रकार गोरखपुर नाम से अलंकृत इस पावन नगर को उन



महान् योगी श्री बाबा गोरक्षनाथ ने भी अपनी तपोस्थली बना कर इसको महत्ता को चरम सीमा तक पहुँचाया, जिन्हें अपने गुरु श्री मत्स्येन्द्रनाथ को मायापाश से मुक्त कराने तथा भौतिक भोगों के पंक से आलस्य राजा भर्तृहरि का कायाकल्प कर उसे महान योगी बना देने का श्रेय प्राप्त है ।

### मजदूर संघ से ही आशा

अर्वाचीनकाल में भी इसका महत्व कुछ कम नहीं हुआ, वरन् पूर्वोत्तर रेलवे का प्रधान कार्यालय होने, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रधान औद्योगिक नगर होने तथा सैनिक दृष्टि से सीमान्त प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते इसका महत्व अधिक ही है । उपर्युक्त प्रसंगों को प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करते हुये, भारतीय संस्कृति रूपी गौ, आंतरिक भ्रष्टाचार, देश की अखण्डता के द्रोही तथा सीमा पर चढ़ आये शत्रुरूपी कौरवों से त्राण पाने हेतु, इस समय संख्या में कम होते हुये भी सत्य के बल से युक्त भारतीय मजदूर संघ रूपी पांडवों की ओर ही आशा लगाये बैठी है । मुझे आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि इतिहास फिर दुहराया जायगा और देश सेवार्थ अखण्ड योग की साधनायुक्त भारतीय मजदूर संघ का यह अधिवेशन अपने कार्य कलापों से श्री गोरक्षनाथ जी की ही भांति जनता-गुरु की मोह निद्रा भंग करके उसे भर्तृहरि की ही भांति लोक कल्याण में प्रयुक्त कराने में समर्थ होगा ।

### कितनी दूरी तय की ?

स्वतन्त्रता मिले हमें १५ वर्ष व्यतीत हो चुके परन्तु राष्ट्र ने प्रगति के पथ पर दम बीच कितनी दूरी तय की है, यह आप लोगों से छिपा नहीं है । शासकीय प्रचार तंत्र के अनुसार तो हर पंचवर्षीय योजना में बहुमुखी प्रगति ही हुई है । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस तथ्य को स्वीकार करने से अपने आपको नहीं रोक सकता । बहुमुखी प्रगति हुई अवश्य है परन्तु किस प्रकार—तनिक ध्यान देकर देखिये तो प्रगति बड़े वेग से हो रही है । दरिद्र निरन्तर दरिद्र हो रहे हैं, तो पूंजीपतियों को अपनी संपदा का दानवीय विकास संभालना कठिन हो रहा है । मंत्रियों उपमंत्रियों तथा अधिकारियों की संख्या में सतत् वृद्धि हो रही है, बेकारों की सेना भी देश की रक्षक सेना से कम नहीं ।

### दोषी कौन ?

पहले समाज में व्याप्त हर बुराई को थोपने के लिये विदेशी राज्य सुलभ था परन्तु वास्तव में इसका दोषी कौन है ? सब भली भांति जानते हैं । यह कहना तो अनावश्यक ही होगा कि देश की विभिन्न श्रमिक समस्याओं तथा यहाँ पर

फैली आर्थिक असमानता तथा उसके निराकरण के हेतु संभाव्य उपायों के संबंध में भारतीय मजदूर संघ की अपनी ही कुछ मान्यताएँ हैं जो कि उसके जन्म लेने का कारण बनी हैं। यह भी सभी को विदित है कि हमारी मान्यताएँ पिटी हुई अन्यान्य श्रमिक संगठनों द्वारा निरन्तर व्यवहृत होने पर भी असफल सिद्ध होने वाली उन्हीं विकृत पाश्चात्य मान्यताओं का रूपान्तर नहीं, जिन्हें अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये जहाँ तहाँ पाखंडी लोग नई बोतल में पुरानी शराब की तरह जनता के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं।


### विश्वबन्धुत्व का झूठा नारा

आज केवल भारत ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व पूंजीवादी तथा मार्क्सवादी विघटनकारी नीतियों तथा उनके आपसी संघर्ष से त्रस्त है। पूंजीवाद तो बदनाम है ही उसे यहाँ दुहराना आवश्यक नहीं, पर मार्क्सवाद जिसके ऊल-जलूल सिद्धांतों को मानकर चलने वाले कुछ भ्रान्त बन्धु विश्वबन्धुत्व का झूठा नारा लगाकर मानवता को एक गुट विशेष के बर्बर हाथों में सौंप कर लौहभित्ति में बन्द कर देना चाहते हैं, उनसे सावधान रह कर, स्वाधीनता, जनतांत्रिक भावना, धर्म एवं संस्कृति अर्थात् एक शब्द में सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिये प्रतिक्षण जागरूक रहकर अहर्निश प्रयत्न करने के निमित्त कृत-संकल्प भारतीय मजदूर संघ को आप लोगों से पूर्ण आशा है कि अपने घोषित सिद्धांतों का पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते हुये आप लोग इस अधिवेशन द्वारा लोक कल्याण की विधा में एक बृद्ध पग उठावेंगे। सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की भारतीय विचारधारा में दीक्षित आप सभी बन्धुओं से हमारी यह अपेक्षा करना अस्वाभाविक ही होगा।

गोरखपुर जनपद जहाँ अपने विशाल श्रमिक संख्या के लिये प्रख्यात है वहीं इसकी घोर दरिद्रता तथा इसके ऊपर ढहने वाला प्राकृतिक कोप भी सर्व विदित है। आप लोगों की सेवा करने में इस नगर से यदि कोई श्रुति रह जाये तो विश्वास है कि आप लोग उसे उदारतापूर्वक क्षमा करके हम लोगों का आतिथ्य सुदामा के तन्दुल और विदुर के शाक की ही भांति ग्रहण करके हमें कृतार्थ करेंगे।


अन्त में मैं इस नगर और जनपद की ओर से आपका पुनः स्वागत करते हुये इस अधिवेशन की सफलता के लिये विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी सज्जनों से अपनी श्रुतियों के लिये फिर क्षमा मांगता हूँ।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री  
उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रधानमंत्री



वीरेन्द्रस्वरूप भटनागर (बरेली क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर  
संघ के  
प्रधानमंत्री



सुधीर सिंह (गोरखपुर क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश इन्जीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन के  
प्रधानमंत्री



सलेकचन्द्र (मेरठ क्षेत्र)

॥ श्री ॥

उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के छठे वार्षिक अधिवेशन  
के अवसर पर गोरखपुर में महामंत्री

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

का

✽ उद्घाटन भाषण ✽

प्रिय प्रतिनिधि बन्धुगण !

किसी भी देश की पूंजी श्रम ही हुआ करता है। श्रम और श्रमिकों के स्थान पर सोने चांदी को महत्व देना या चांदी के टुकड़ों के लालच में श्रमिकों की उपेक्षा करना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही हलाल करने के समान है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विगत १५ वर्षों में नियम और कानून तो अनेक बने, पर भारतीय श्रमिक को अपना उचित सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सका।

आज भी इस देश का श्रमिक दाने-दाने को मुहताज है। वह सरकार और मालिकों के दमन चक्र का शिकार है। जब तक एक भी श्रमिक भूखा है हम चैन से नहीं बैठ सकते।

उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रादेशिक प्रतिनिधियों का इस ऐतिहासिक नगरी में स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये हर्ष का विषय है। प्रदेश तथा देश की सभी औद्योगिक समस्याओं पर सर्वांगीण विचार-विमर्श कर समस्त श्रमिक जनों को उचित मार्ग दर्शन करने का दायित्व, आपका ही है। मुझे विश्वास है, उसका निर्वाह करने में यह त्रिदिवसीय सम्मेलन सफल रहेगा।

## उत्तर प्रदेश में प्रगति की राह पर

गत मई महीने में हम देहरादून में एकत्रित हुये थे। तत्पश्चात् अब तक हमारी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूनियन्स की संख्या में वृद्धि; हर यूनियनों की सदस्य संख्या में वृद्धि; कार्यकर्ताओं की संख्या तथा योग्यता में वृद्धि; यूनियन के कार्य में रस लेने वाले वकीलों की संख्या तथा उनकी योग्यता में वृद्धि; सर्व-साधारण प्रभाव में वृद्धि—इन सब दृष्टियों से हमारा कदम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। इसी कारण श्रमिकों में भारतीय मजदूर संघ के प्रति श्रद्धा की भावना निर्माण हुई है। उत्तर प्रदेश में स्थान-स्थान की श्रमिक समस्याओं पर सरकार तथा जनता का ध्यान केन्द्रित करने का मजदूर संघ का अभियान आशा से अधिक सफल हुआ है। दूकान-कर्मचारियों की मांगों के लिये जन-जागरण का प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने वाला पहला ही श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ प्रयत्न कर रहा है। दूकान-कर्मचारियों को न्याय प्राप्त कराने में भारतीय मजदूर संघ पूर्णरूपेण सफल होकर रहेगा—यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चीनी मिलों के क्षेत्र में पिछले ही वर्ष हमने पदार्पण किया था। इस सम्मेलन में चीनी मिल मजदूरों के प्रादेशिक महासंघ की नींव डाली जायगी। प्रदेश के दूकान कर्मचारी भी चाहते हैं कि अपने नेतृत्व में उनके महासंघ का निर्माण हो। उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी भा० म० संघ के झंडे के नीचे संगठित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि रेलवे मजदूरों का संगठन अखिल भारतीय तथा विभागीय स्तरों पर भी स्वतन्त्र रहना चाहिये। किन्तु उत्तर-पूर्वी रेलवे यूनियन के नेता विभागीय स्तर पर स्वतन्त्र बनने के लिये तैयार नहीं हुये। अस्तु इन मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ की यूनियन का निर्माण किया है। धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं।

## प्रदेश के बाहर भी प्रगति की ओर

प्रदेश के बाहर भी मजदूर संघ प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूती मिल मजदूरों के अखिल भारतीय महासंघ की नींव डाली गई है। दिल्ली राज्य सरकार ने भारतीय मजदूर संघ को राजकीय स्तर पर मान्यता देने का निश्चय किया है।

टेक्सटाईल अभिनवीकरण की त्रिदलीय राज्यकीय समिति में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को लेकर इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया

पहला कदम है। गुजरात हिमांचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में अब तक हमारा काम नहीं था। अब इन तीनों प्रदेशों में भी अपने कार्य का शुभारम्भ हो गया है। दक्षिण में कुर्ग में हमारा अब तक प्रवेश नहीं था—अब वहाँ के काफी बागान के मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व स्वीकार किया है। केरल से भी मांग आई है कि वहाँ मजदूर संघ की शाखा खुलनी चाहिये। अभी-अभी गोआ से तत्रस्थ मैगनीज मजदूरों का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। दीपावली के पश्चात् उस विभाग में भी भारतीय मजदूर संघ पदार्पण करेगा। भगवान की कृपा से तथा आप सब बन्धुओं के अथक प्रयत्नों के कारण ही मजदूर संघ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, यह स्पष्ट है।

### औद्योगिक अशांति का दायित्व मालिकों पर

मजदूरों के प्रतिनिधियों के नाते हम लोग उनकी सही मांगें हर सम्मेलन में प्रस्तावों के रूप में सरकार मालिक तथा जनता के सामने रखते आये हैं, और इस सम्मेलन में भी रखेंगे। किन्तु ये मांगें केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए हम उठाते नहीं। उनके पीछे न्याय-अन्याय का शास्त्रीय विचार रहता है।

### दया-दान के रूप में हम कुछ नहीं मांगते

उत्पादन तथा वितरण की विभिन्न प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी तत्वों को न्याय प्राप्त हो यही हमारी धारणा है। न्याय प्राप्त के लिए भी हम केवल बल प्रयोग का आधार उचित नहीं मानते। शास्त्रशुद्ध तथा तर्काधिष्ठित विचारों के आधार पर ही हम काम करना चाहते हैं। यही इच्छा औद्योगिक सम्बन्धों के अन्य पक्षों में निर्माण हुई तो औद्योगिक शांति कायम करना सुलभ हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि मालिक शास्त्रीय विचारों को त्याग कर केवल स्वार्थसिद्धि हेतु श्रमिकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से भी वंचित रखना चाहते हैं। यही कारण है—औद्योगिक अशांति का। यह जिम्मेदारी प्रमुख रूप से मालिकों की ही है, जिनमें सबसे बड़ा मालिक केन्द्रीय सरकार है, जिसने श्रममंत्री नन्दा जी की अध्यक्षता में होने वाले श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को भी यह कहकर ठुकरा दिया कि वित्तमंत्रालय ऐसे सम्मेलनों की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

### न्यायोचित वितरण का आधार

श्रमिकों को न्यायोचित परिश्रमिक देने की दृष्टि से 'श्रम-मूल्यांकन' तथा 'श्रम-विश्लेषण' के सिद्धांतों का सूत्रपात धीरे-धीरे हिन्दुस्थान में हो रहा है—यह

स्वागत के योग्य पग है। हर एक श्रमिक के कार्य का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करना; उसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन करना; वह कार्य अच्छी तरह से करने के लिये कौन-कौन से गुणों की आवश्यकता है। तथा किस गुण का तौलनिक महत्व उस कार्य की दृष्टि से कितना समझना चाहिये इसकी सूची बनाना विभिन्न गुणों का तौलनिक महत्व उस कार्य की दृष्टि से कितना समझना चाहिये इसकी सूची बनाना विभिन्न गुणों का तौलनिक महत्व ख्याल में रखते हुए उनमें से कौन सा गुण कितनी मात्रा में श्रमिक में है—इसका मूल्यांकन करना; इस तरह विभिन्न गुणों की दृष्टि से उसको अंक देने के पश्चात् कुल अंक कितने होते हैं। इस आधार पर उस श्रमिक की श्रेणी निश्चित करना; उसी में अपना अपना काम पूरा करते समय श्रमिक को कठिनाइयों का कितनी मात्रा में मुकाबला करना पड़ता है—इसका भी विचार अंतर्निहित रखना; और इस तरह विभिन्न गुणों की तथा कठिनाइयों की मात्रा का सर्वेक्षण विचार कर हर एक श्रमिक के कार्य का मूल्यांकन करना, यह सूत्र श्रम मूल्यांकन तथा श्रम विश्लेषण का है। गुणों की दृष्टि से विचारणीय विषय है—शालेय शिक्षा; प्रावैधिक शिक्षा तथा कुशलता; पूर्वानुभव; कुल शारीरिक श्रम; दृष्टिश्रम; मानसिक बौद्धिक परिश्रम वस्तुओं का दायित्व; मशीनरी का दायित्व; आर्थिक निधि सम्हालने का दायित्व; नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का दायित्व; सुरक्षा का दायित्व; व्यवस्थापन की कुशलता; जनसंपर्क (ग्राहक संपर्क) की क्षमता; इत्यादि। कठिनाइयों के स्तर की दृष्टि से विचारार्थ विषय है—शारीरिक श्रम का तथा उसके सातत्य का प्रमाण; कार्य करते समय संभवनीय आपत्तियां; अपघात की संभावना; काम के परिणाम स्वरूप थकावट; कार्य की अरुचिता व नीरसता-रुक्षता; काम की अवस्था में (Working conditions) त्रुटियां; अतिउष्ण या शीत, कर्कश तिनाद दुर्गन्ध आदि के कारण कार्य क्षेत्र की अस्वच्छता; इत्यादि। इन सब बातों का हर एक श्रमिक के विषय में पूर्ण विचार कर उसके कार्य का मूल्यांकन करने की पद्धति न्याय प्राप्त की दृष्टि से हितकर सिद्ध होगी, इसमें संदेह नहीं है। किन्तु इस पद्धति को पश्चिम से जैसे का तैसा लेना भारतीय परिस्थिति में उचित सिद्ध नहीं होगा। हमारी परम्परायें, परिस्थिति, जीवन मूल्य तथा भविष्यकालीन समाज का चित्र इन बातों को ख्याल के रखते हुये पाश्चात्य मूल्यांकन पद्धति का भारतीयकरण करना होगा। उदाहरणार्थ, औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यांकन में आज पश्चिम में चारित्र्य को स्थान नहीं दिया गया है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। वैसे ही विभिन्न गुणों का तौलनिक महत्व पश्चिम में जैसा माना गया है

वैसे ही भारत में मानना वास्तविकता के विपरीत होगा। 'श्रम मूल्यांकन तथा विश्लेषण' की पद्धतियों का भारतीयकरण करते हुए उनके आधार पर वेतन स्तरों का विचार किया गया तो न्यायोचित वेतन निर्धारण में बहुत सहायता होगा, यह निश्चित है।

### बोनस के विषय में

आज देश में जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है वह विषय है बोनस का। बोनस कमीशन के कार्य का एक अध्याय अब समाप्त हो चुका है। भारतीय मजदूर संघ ने सबसे पहले बोनस को 'विलंबित वेतन' माना है। जब तक जीवन वेतन और प्रत्यक्ष वेतन में अंतर है तब तक बोनस अर्थात् देरी से दिया हुआ पूरक वेतन है। प्रत्यक्ष वेतन जब जीवन के स्तर पर आ जाएगा तब बोनस 'लाभ में हिस्सा' (Profit sharing)—ऐसा स्वरूप धारण करेगा। आज प्रायः सभी उद्योगों में साधारणतः जीवन वेतन अप्राप्य ही है, भारतीय मजदूर संघ समझता है कि 'विलंबित वेतन' के नाते बोनस का विचार करना ही यथार्थवाद के अनुकूल रहेगा। इस दृष्टि से हमारा प्रतिपादन है कि लाभ की अवस्था में स्थूल लाभ में से (Gross profits) सर्वप्रथम depreciation charges निकालने के बाद 'विलंबित वेतन' के नाते सामान्यतः दो मास का मूल वेतन या मूल वेतन तथा मंहगाई के वार्षिक संकलित निधि का ५ प्रतिशत श्रमिकों को प्राप्त होना चाहिए। यदि उद्योग को इस वर्ष हानि हुई हो तो 'विलंबित वेतन' के नाते केवल एक मास का मूल वेतन या वार्षिक संकलित निधि का २॥ प्रतिशत श्रमिकों को प्राप्त हो। उसके बाद paid up capital पर ६ प्रतिशत तथा आधे रिजर्व्स पर ४ प्रतिशत रिटर्न पूंजी को देना चाहिये — जिसमें मैनेजिंग एजेंसी के कमीशन का भी पैसा निहित रहे तत्पश्चात् (Income tax) आय कर। उसके निकालने के पश्चात् जो उर्वरित निधि बचेगी उसका समान वितरण श्रमिक मालिक तथा ग्राहकों में होना चाहिये। ग्राहकों का विचार अर्थात् उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को कम करने से हो सकता है। उर्वरित का जो एक तृतीयांश मालिक को मिलेगा उसमें rehabilitation, replacement, expansion आदि के खर्च भी निहित रहेंगे। यह सर्व साधारण विचार हमने सामने रखा है। आधे reserves को हम return on capital ही मानते हैं। reserves के बाकी आधे हिस्से पर श्रमिकों का अधिकार है, ऐसी हमारी धारणा है। उसी प्रकार मैनेजिंग एजेंसी का कमीशन भी 'return on capital' का ही एक अंश है ऐसा हमारा कहना है। बोनस के फार्मूले को कानून का स्वरूप देना आवश्यक है। रिजर्व्स तथा मैनेजिंग

एजेन्सी के कमीशन पर कानूनी मर्यादा डाली जानी चाहिये । कानूनी परिभाषा में 'श्रमिक' समझे गये व्यक्तियों में से, जिसको बोनस के रूप में सर्वाधिक पैसा प्राप्त होगा उससे अधिक पैसा बोनस के नाते किसी भी उच्चपदस्थ 'अश्रमिक' अधिकारी को प्राप्त न हो सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । बोनस के विषय में विवाद खड़ा होने के पश्चात् उद्योग के सभी संबंधित हिसाब-किताब का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार श्रमिक-प्रतिनिधियों को प्राप्त होना चाहिये । इस विषय में अन्य संबंधित तत्वों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे केवल एक पक्षीय विचार न करते हुये सर्वपक्षीय न्याय का ही आधार अपनावें ।

### नगरीकरण से होने वाले दुष्परिणामों से बचें

भारत जैसे विशाल जनशक्ति वाले देश में बड़े-बड़े उद्योग खड़े करने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की ओर प्रारम्भ से ही ध्यान देना आवश्यक है । बेकारी के साथ-साथ मजदूर बनने की लालसा में देहात से आया हुआ भोला-भाला कृषक नगरों की चकाचौंध में अनेक बुराइयों को अपना रहा है। नगरीय जीवन से उसके अनभ्यस्त होने के कारण गन्दगी, मकानों की तंगिश और के कोलाहल उसके मन में अनेक ग्रन्थियां उत्पन्न कर रहे हैं और वह गांव के समाज के समान अपनत्व एवं नियंत्रण न पाकर स्वच्छन्द बन रहा है । परिवार के अभाव में कष्ट एवं बीमारी में भी किसी का स्नेह एवं सुश्रूषा न पाकर रुग्ण एवं स्वार्थी बन रहा है । अस्तु आवश्यकता है, मजदूर के साथ-साथ उसके परिवार के योग्य भी कार्य की व्यवस्था । दूसरी भी बात है जहां एक ओर श्रमिक बस्तियों के निर्माण की व्यवस्था हो रही है, उसमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं श्रमिक अपने को शेष समाज से अलग तो नहीं समझने लगेगा । उन श्रमिक बस्तियों में श्रमिक के अतिरिक्त समाज को भी स्थान देने की व्यवस्था चाहिये भले ही उसके किराये दर में अन्तर क्यों न रखा जाय उसके साथ ही श्रमिक बस्तियों में न रहने वाले श्रमिक जो नगर के अन्दर अपने आवास की व्यवस्था कर सकें, उन्हें उसमें और प्रोत्साहित किया जाय और उन्हें अतिरिक्त मकान भत्ता देने की व्यवस्था की जाय । हमारा तो प्रारम्भ से ही सुझाव बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना न करके छोटे-छोटे उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है । सरकार एवं योजनाकर्त्ताओं को उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

ये कुछ समस्याएँ हैं जिनका मैंने जिक्र किया। जब तक ये समस्याएँ हल नहीं होतीं, भारत का औद्योगिक विकास पूरे वेग के साथ नहीं हो सकेगा। सरकार और मालिकों से श्रमिकों का कोई विरोध नहीं है। पर इतना मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ अब सहन नहीं किया जा सकता। केवल कोरे नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है। उन नियमों का उचित रूप से क्रियान्वयन भी आवश्यक है। मजदूरों के हितों के लिये उठाये गये ऐसे प्रत्येक पग का मजदूर संघ पूर्ण सहयोग के साथ समर्थन करेगा।

अन्य श्रमिक संगठनों की तरह भारतीय मजदूर संघ ने अपना नाम अंग्रेजी में नहीं रखा। अपना ध्वज, चिन्ह तथा श्रम दिवस—सभी का चुनाव करते समय इसने अपने देश की महान् परम्परा को ध्यान में रखा है।

वही राष्ट्र तथा समाज उन्नति करता है, जिसके अन्दर बसने वाले व्यक्ति जीवन का मोह छोड़कर, साहस के साथ कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। जीवन के लिये सुरक्षा, गारन्टी पेन्शन, संरक्षण आदि बातें मनुष्य को भीरु तथा अकर्मण्य बनाती है।

दि० १३ अप्रैल, ६३ के दिन पडरौना में 'उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ' के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री

**श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी**

का

**\* उद्घाटन भाषण \***

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवम् प्यारे चीनी मिल मजदूर भाइयों !

पिछले अक्टूबर मास में आपके महासंघ का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् केवल ६ मास की अवधि में आपने जो प्रगति की है—वह सराहनीय है। पूर्वी उ० प्र० में तो आपके कार्य का विस्तार हुआ ही है किंतु पश्चिमी उ० प्र० के चीनी मिल मजदूरों ने भी आपके महा संघ के नेतृत्व में कार्य करने की इच्छा प्रकट की है। यह बात आपकी कार्य कुशलता की परिचायक है। वैसे इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि इसी उद्योगमें कार्य करनेवाली अन्य संस्थाएं मजदूरों का विश्वास खो बैठी हैं।

**चीनी उद्योग का अर्थरचना में स्थान**

भारत की अर्थरचना में चीनी उद्योग का विशेष महत्व है। आज देश में लगभग १७५ चीनी संस्थान हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में ७१ हैं। इन ७१ मिलों में ८५ हजार मजदूर काम कर रहे हैं।

इस समय देश में लगभग ५१-५२ लाख एकड़ भूमिपर गन्ने की खेती होती है और उत्तर प्रदेश में ३० लाख एकड़ भूमिपर। देश में २० लाख तथा उ० प्र० में ८ लाख किसान गन्ने की खेती से संबंधित हैं। देश में गन्ने की उपज साधारणतया २९ करोड़ है। गत वर्ष सम्पूर्ण देश में २८ लाख टन चीनी बनी थी, जिसमें १४ लाख टन उत्तर प्रदेश में बनी।

उ० प्र० की ३८ चीनी मिलें पश्चिमी एवं ३३ पूर्वी क्षेत्र में हैं। अपने इस महासंघ का कार्य अबतक विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक है।

### गत वर्ष

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गतवर्ष (६१—६२) चीनी उद्योग ने २ लाख काश्तकारों को गन्ने की कीमत के रूप में ९० से ९३ करोड़ तक रुपये दिये। राज्य सरकार को गन्ना क्रय कर के रूप में २ करोड़ ४५ लाख रुपये; कोआपरेटिव सोसाइटीज को कमीशन के रूप में ४५ लाख रुपये; केन्द्रीय सरकार को उत्पादन करके रूप में १३ करोड़ ३१ लाख; तथा लगभग ३१ हजार कार्यकरों को वेतन के रूप में ३ करोड़ ५४ लाख रुपये दिये हैं।

### इस वर्ष

गत वर्ष चीनी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक था ऐसा समझकर, चीनी मिलों में भावी अतिरिक्त उत्पादन को रोकने के लिये सरकार ने मिलों में चीनी उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया। मिलों को निर्देश दिया गया कि वे पहले से अब १० प्रतिशत कम चीनी बनावें।

इस नीति की घोषणा के फलस्वरूप गन्ना बोने वालों ने गन्ना बोना कम करके अन्य तिजारती फसलें बोना आरम्भ कर दिया, और जो गन्ना खेतों में खड़ा था वह खण्डसारी और गुड़ के उत्पादन में खर्च कर लिया गया।

ठीक इसी समय क्यूबा के संकट के कारण विदेशों में भारत की चीनी की मांग बहुत बढ़ गई। किन्तु सरकार की पूर्व घोषित नीति के कारण हम इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा सके।

इस अवस्था में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से चीनी का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने फिर से चीनी मिलों को संकेत किया कि वे अपना उत्पादन ३० से ४० प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयत्न करें। जब कि प्रत्यक्षतः चीनी का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा कम हुआ था।

उपर्युक्त तथ्य स्वयम् सरकारी नीति की विफलता बताते हैं। अतः आलोचना आवश्यक है।

## अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति

वैसे भी, सामान्यतः चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति स्पृहणीय नहीं। हवाई एवं जावा द्वीप में गन्ने की प्रति एकड़ उपज ५० टन है, और वहां प्रति १०० टन गन्ने से १२ टन चीनी निकाली जाती है। भारत में १० टन निकलती है। जहां भारत का किसान १ एकड़ भूमि में १३ टन गन्ने के मूल्य के रूप में ५७९.५० न. पै. प्राप्त करेगा, वहां हवाई एवं जावा का किसान १ एकड़ में ५० टन गन्ने का मूल्य २२२७.५० न. पै. प्राप्त करेगा। यह तो केवल उत्पादन का अंतर है।

## अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और भारत

इस समय देश में लगभग २८ लाख टन चीनी बनती है। खपत २२ लाख टन की है। शेष ६ लाख टन चीनी के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाना पड़ता है। जहां चीनी का भाव ४०० रु० प्रति टन है। हमारी चीनी पर लागत ७०० रु० प्रति टन है। अर्थात् ३०० रु० प्रति टन का घाटा हमें लगता है। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी स्थिति शोचनीय है।

## सुधारक का दायित्व

इस दयनीय अवस्था में सुधार लाने का उत्तरदायित्व सरकार तथा मालिकों का ही प्रमुख रूप से है। मजदूरों की ओर से उन्हें पूरा सहयोग इसके पूर्व भी होता रहा और आगे भी प्राप्त होगा। किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चीनी मिल मालिक सही दिशा में कदम उठाना नहीं चाहते। वे तो गन्ने का मूल्य कम कराके किसानों को, तथा वेतनादि कम देकर मजदूरों को असन्तुष्ट करना ही जानते हैं। मिलें घाटे में चल रही तो भी घोषणा करके सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। शायद इसके पीछे यह भी ज्ञातव्य है कि सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होते ही उन्हें बोनस देने से बचने में, कई प्रकार के सरकारी करों से मुक्त होने में, किसानों को गन्ने का मूल्य देरी से देने में तथा मजदूरों की उचित मांगें पूरी न कराने में सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। अभिनवीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर छूटनी करने का भी उनका इरादा है।

इन श्रमिक विरोधी तथा उद्योग विरोधी नीतियों में सरकार भी मिल मालिकों को सहयोग प्रदान कर रही है, यह अधिक दुःख की बात है।

### छटनी न हो : श्रमिक मिल चलायें

भारतीय मजदूर संघ ने इसके पूर्व ही घोषणा की है कि हम छटनी का पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि किसी भी मजदूर को उसके वर्तमान कार्य से तब तक न हटाया जाय जब तक उसके लिए पहले ही पर्यायी नौकरी सुरक्षित नहीं रखी जाती। मिलें घाटे में चल रही हैं यह मालिकों का कथन यदि सत्य है तो हम उन्हें आवाहन करते हैं कि वे अपनी २ मिलें अपने २ मजदूरों की सहकारी संस्थाओं को चलाने के लिये दे दें। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की चीनी मिलों को उनके श्रमिक अपनी सहकारी समितियों द्वारा अधिक निपुणता एवं कम व्यय में चला सकेंगे। शुरू में उन्हें थोड़ी प्राविधिक सहायता देनी पड़ेगी। प्रदेश के चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हितकर नहीं होगा। हम केवल बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं।

### उपेक्षित श्रमिक

हमने इसके पूर्व ही कहा था कि जब तक चीनी वेतन आयोग के अनुसार सब सुविधायें पूर्ण रूप से प्राप्त न हो जाय तब तक सेवा मुक्ति का आदेश अनुचित है, तथा जब तक वेतन आयोग से उत्पन्न समस्त विवाद (जैसे ग्रेडेशन आदि) जो इम्प्लेमेंटेशन कमिटी एवं प्रादेशिक संराधन कार्यालयों में वर्षों से उलझे पड़े हुए हैं अन्तिम रूप से तय न हो जाय तब तक सेवा मुक्ति का आदेश अवैधानिक है, और उन्न सम्बन्धी विवाद का समुचित निराकरण किये बिना सेवा मुक्ति का आदेश भी उचित नहीं है।

फिर, हमारी मांग थी कि वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करते समय सीनीयारिटी व वर्कलोड का ध्यान रखा जाय। निर्देशांक के आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि हो। लिपिकों के ग्रेडेशन में हुई धांधली में सुधार किया जावे। सिपाही, चपरासी आदि दायित्व पूर्ण कार्यकरों को 'अर्द्ध कुशल' श्रेणी में रखा जावे। मौके का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुये भ्रम न्यायालय विवादों का निपटारा करे। सेवा मुक्त कर्मचारियों के परिवार बालों को नई भर्ती में प्राथमिकता दी जावे। मान्य की हुई छुट्टियों के बीच अन्य अवकाश के पड़ने पर, उसमें सम्मिलित न किया जावे। विवादों की पैरवी के लिये न्यायालयों में उपस्थित होने की तिथियों में सवेतन छुट्टी की व्यवस्था की जावे। प्रतिनिधि सम्मेलनों के अवसर पर उन्हें सवेतन छुट्टी दी जाय। चौबीस घंटे उपलब्ध हो सकने वाले चिकित्सकों व चिकित्सालयों की व्यवस्था मिलों में की जाय। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित कर्मचारी माना जावे तथा स्थायी कर्मचारियों

के समान अस्थाई (सीजनल) कर्मचारियों को अनुपातिक सुविधायें दी जायें ।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतना समय बीत गया तो भी उपर्युक्त उचित मांगे पूरी नहीं हुई, तथा उनकी उपेक्षा हुई, और आज बोनस के विषय को लेकर एक नया ही कुठाराघात मजदूरों पर करने का षड्यन्त्र मालिकों द्वारा किया गया है। कुल ७१ मिलों में से केवल ४३ मिलों ने बोनस की बात मान ली है, और वह भी न्यायोचितता की दृष्टि से केवल आंशिक रूप में। सरकार भी मालिकों को सही रास्ते पर चलने के लिये बाध्य नहीं कर रही।

### सर्वकष उपाय योजना की आवश्यकता

विद्यमान सोचनीय अवस्था में चीनी उद्योग को ऊपर उठाना हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि, गन्ना बोने वाले किसान से लेकर चीनी खरीदने वाले ग्राहक तक चीनी उद्योग से संबंधित सभी पक्षों के हितों का सर्वकष तथा सम्यक् विचार युगपद्, एक साथ हों, तथा उसके आधार पर सभी पक्षों के हितों का संरक्षण एवं समन्वय करने वाली उपाय योजना उत्क्रान्त हो। इस दिशा में किसान, मजदूर और ग्राहक संपूर्ण सहयोग देने के लिये सदा ही सिद्ध रहे हैं। अब आवश्यकता इस बाद की है कि मालिकों को भी अपनी समाज विरोधी स्वार्थी प्रवृत्ति को छोड़कर उद्योग, गरीब जनता तथा देश के हित के लिये अपनी ओर से हार्दिक सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिये। स्वेच्छा से यह कार्य करने के लिये वे तैयार न हुए तो उन्हें नियंत्रित कर उचित दिशा में ले जाने का उत्तरदायित्व सरकार का है। मैं दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना २ कर्तव्य पूरा करें।

### हमारा कर्तव्य

भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रवादी श्रमिकों का संगठन है। विशेष रूप से आज की राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति में हम देश का उत्पादन बढ़ाने के हेतु हर प्रकार से सहयोग देने के लिये उत्सुक हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि मालिक अपने मुनाफे बढ़ाते जावें और मजदूरों की उचित मांगों को भी ठुकराया जाय। हम औद्योगिक शांति तथा औद्योगिक न्याय—दोनों की सिद्धि चाहते हैं। इस दृष्टि से सम्पूर्ण विचार विमर्श कर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रभक्त चीनी मिल मजदूरों को उचित मार्ग दर्शन करना यह इस सम्मेलन का दायित्व है। प्रदेश के राष्ट्रभक्त श्रमिक आशा तथा उत्सुकता से आपकी कार्यवाही की ओर देख रहे हैं। उनकी आशाएं पूरी करना और चीनी मिल मजदूरों के आन्दोलन को सुयोग्य दिशा में आगे बढ़ाना यही इस सम्मेलन का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति में आप सफल होंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास है।

भारतीय मजदूर संघ के ७ वें वार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन के  
अवसर पर बरेली (खण्डेलवाल धर्मशाला) में  
दि० २ अक्टूबर, १९६३ को भारतीय  
मजदूर संघ के महामन्त्री

**श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी**

का

**\* उद्घाटन भाषण \***

आज भारत के श्रमिक क्षेत्र में चारों ओर असंतोष की लहर फैल रही है, स्वर्णकारों पर सरकार द्वारा कुठाराघात, गलत जीवन निर्देशांक, मूल्यवृद्धि, कर वृद्धि, आदि कारणों से श्रमिक जनता आज अतीव पीड़ित है। दिनांक ३ नवम्बर १९६२ के औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव को मालिकों ने तथा सरकार ने भी स्थान स्थान पर ठुकरा दिया है, संकटकालीन परिस्थिति के नाम पर मजदूरों के जायज अधिकार छीनने का आज षडयन्त्र चल रहा है। 'जबर्दस्त मारे, रोने न दे' यही अवस्था मजदूरों की हो गई है।

इस परिस्थिति से हमारे लिये यह गौरव का विषय है कि सम्पूर्ण परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन करते हुये भारतीय मजदूर संघ ने ही सर्वप्रथम आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सरकार द्वारा प्रकाशित जीवन निर्देशांक 'कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स नम्बर' का आधार अशास्त्रीय है, और उसकी शास्त्रीय पद्धति से पुनर्रचना होनी चाहिये, तभी मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में राहत मिल सकती है, इस विषय में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सबसे पहले हमारे ही प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करने के लिये बुलाया, और हमारे रचनात्मक कार्यपद्धति की प्रशंसा की, तत्पश्चात् अन्य श्रमिक संस्थाओं ने इस प्रश्न को उठाया, आज तो यह प्रश्न श्रमिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण मांग बन चुका है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हर एक राज्य में मजदूरों के फेमिली बजट की फिर से जांच की

जाय और उसके आधार पर शास्त्रीय निर्देशांक निश्चित करने का कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

मंहगाई भत्ते का सीधा सम्बन्ध निर्देशांक से रहना चाहिये—यह सिद्धान्त तो सर्व मान्य ही है । मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिये अलग निर्देशांक निश्चित करना—कहाँ तक यथोचित होगा, यह एक विवाद का विषय है । किन्तु इस विषय में सरकार ने जो आँकड़े एकत्रित किये हैं, वे प्रकाशित होने चाहिये ।

ठीक ढंग से निर्देशांक निकालने का काम पूरा होने से कुछ समय लगेगा, तब तक विद्यमान मूल्यों को ध्यान में रखते हुये मजदूरों को अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिये । जहाँ जहाँ मंहगाई भत्ते की पद्धति चल रही हो, वहाँ वहाँ मंहगाई भत्ते में उतनी मात्रा में वृद्धि की जाय, और जहाँ जहाँ 'कान्सालीडेटेड वेंजेज' चल रहे हों, वहाँ वहाँ उनमें भी उतनी वृद्धि हो ।

यह हर्ष का विषय है कि गरीब कर्मचारियों की दृष्टि से अनिवार्य बचत योजना को समाप्त कर दिया गया है, वैसे हम बचत के तो पक्ष में हैं किन्तु अनिवार्यता के विरोध में हैं । अनिवार्यता तानाशाही की परिचायक है । मजदूरों तथा सभी लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत कर उन्हें स्वार्थत्याग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये—यह कार्य जागरण के द्वारा हो जबर्दस्ती से नहीं । फिर आज मजदूर बचत करने की क्षमता भी तो नहीं रखता, वैसे भी वह कर्ज के बोझ के नीचे दबा पड़ा है । उसके लिये अनिवार्य बचत का मतलब होगा, कर्ज में अनिवार्य वृद्धि, यह बात तो सर्वथा निन्दनीय ही थी ।

जहाँ कि एक ओर हम स्वीकार करते हैं, कि राष्ट्रीय संकटकालीन परिस्थिति में हर एक नागरिक को देश के लिये अत्यधिक त्याग करना ही चाहिये, वहाँ दूसरी ओर हम इस बात का समर्थन नहीं कर सकते कि स्वार्थ त्याग के कार्य को केवल मजदूर ही करें और उच्च पदस्थ सरकारी नेतागण नहीं, यह क्रम तो ठीक विपरीत होना चाहिये था । किन्तु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय संकट के विषय में जितनी सतर्कता पिछले दिनों मजदूरों ने दिखाई, उतनी हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी नहीं दिखाई—इसलिये मजदूरों को इस विषय में उपदेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

आज की हमारी दुर्वस्था का सबसे बड़ा कारण है—गलत योजनाएं । भारत की आवश्यकताएं तथा परिस्थिति विशेष को ध्यान में न रखते हुये ये हवाई योजनाएँ बनाई गयी हैं । जो कि देश में बेरोजगारी तथा अर्धबेकारी को तेजी से बढ़ा रही है । योजनाएं इसी प्रकार से यदि चलती रहीं तो बेकारी, अर्धबेकारी, मूल्य-

वृद्धि, कर वृद्धि, भुखमरी, आत्महत्यायें आदि सब बातों में निरंतर वृद्धि होती जायेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिये हम मांग करते हैं कि योजना में आमूलग्र परिवर्तन हो और भारत की श्रम प्रधान अर्थनीति की पृष्ठभूमि पर जनता के सहयोग से वास्तविकतावादी योजना उत्क्रान्त की जाय।

सरकारी नीतियों के कारण निर्मित असन्तोष को संवैधानिक तथा लोक-तान्त्रिक पद्धति से प्रकट करने का कार्य श्रमिक क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय शक्तियों को करना चाहिये। अन्यथा यह कार्य कम्युनिस्टों को अपने हाथ में ले लेना आसान हो जायगा, जो कि देश के लिये सब से अधिक खतरनाक होगा। श्रमिक क्षेत्र की राष्ट्रीय शक्तियां जहां इस बात के लिये एकत्रि होती है—वहाँ कम्युनिस्टों को मुँह की खानी पड़ती है। बम्बई की राष्ट्रवादी मजदूर संघर्ष समिति ने कामरेड डांगे को उनकी 'होम कान्स्टीचुएन्सी' में किस तरह से परास्त किया, यह सब जानते हैं। हर एक प्रदेश तथा स्थान पर राष्ट्रवादियों का संयुक्त मोर्चा बनना असम्भव है यह सोचकर कम्युनिस्ट 'भारत बन्द' की घोषणा कर रहे हैं। फिर देशद्रोही कम्युनिस्टों के सबसे बड़ा आधार हैं पंडित नेहरू। नेहरूजी ने कम्युनिस्टों के साथ मित्रता निभाने के लिये पिछले कई वर्षों से जो कार्य कलाप चलाये हैं—उससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि नेहरू जी स्वयं अपने को कांग्रेसी सरकार के अन्तिम प्रधान मंत्री तथा कम्युनिस्ट सरकार के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह उनकी अकांक्षा पूरी न हो यह देखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रवादी शक्तियों की है। इसलिये क्षुद्र आपसी मत-भेदों को भूलकर मजदूरों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिये सभी राष्ट्रवादी केन्द्रीय श्रम संस्थायें एकत्रित होकर नेहरू-डांगे षडयन्त्र को असफल बनावें—यही राष्ट्रीयता की मांग है। हम घोषित करना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम कम्युनिस्टों की 'भारत बन्द' योजना को सफल नहीं होने देंगे।

रचनात्मक तथा संवैधानिक ढंग से मजदूरों की सेवायें, और पूरी शक्ति लगा करके कम्युनिस्टों का मुकाबला इस द्विविधि उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें सजग तथा सक्रिय रहना होगा। इस कार्य में जहां जहां सम्भव हो हम अन्यान्य राष्ट्रवादी शक्तियों को साथ में लेकर संयुक्त मोर्चे के रूप में खड़े होने का प्रयास करें। विशुद्ध राष्ट्रवाद तथा मजदूर हित की भावना इन के आधार पर निर्माण हुये मजदूर मोर्चे, मजदूर तथा देश को कम्युनिस्टों के भय से बचाने में समर्थ होंगे, इसमें संदेह नहीं है।

## संगठन की रूप रेखा

प्रदेश के कार्य की देख-रेख प्रदेश कार्यसमिति करती है, जिसमें २५ सदस्य हैं। कार्यसमिति ने पूरे प्रदेश को—(१) कानपुर (२) लखनऊ (३) गोरखपुर (४) प्रयाग (५) आगरा (६) बरेली तथा (७) मेरठ—कुल ७ क्षेत्रों में विभक्त करके क्षेत्रीय संगठनों की नियुक्तियां की हैं। वे अपने क्षेत्र का दायित्व वहन करते हैं तथा जिला संयोजक की नियुक्तियां व जिला समितियों की स्थापना करके उन्हें भी सक्रिय करने का प्रयत्न करते हैं।

इस प्रकार सम्बन्धित सभी यूनियनों न केवल प्रदेश से अपितु क्षेत्रीय व जिला इकाइयों से भी नियंत्रित होती हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर औद्योगिक महासंघों की स्थापना व उद्योग प्रमुखों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। वे अपने विशिष्ट उद्योग के प्रति जिम्मेवार रहकर सम्बन्धित मजदूर समस्याओं के निराकरण का उपाय ढूँढ़ेंगे तथा कार्य का विस्तार करेंगे।

किसी भी देश की पूंजी श्रम ही हुआ करती है। श्रम और श्रमिकों के स्थान पर सोने चांदी को महत्व देना या चांदी के टुकड़ों के लालच में श्रमिकों की उपेक्षा करना, सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को हलाल करने के समान है।



हमारी अर्थ रचना की सफलता के लिये श्रम बचाऊ यंत्र नहीं, श्रम खपाऊ योजना चाहिये।

## भारतीय मजदूर संघ क्यों ?

भारत की औद्योगिक एवं श्रमिक समस्या

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की आज की विशेषता यह है कि उद्योगों की रचना, औद्योगिक सम्बन्धों का स्वरूप तथा औद्योगिक कानून—इन सब का स्वरूप अभारतीय है। भारत की प्रकृति, परम्परा तथा परिस्थिति के बिल्कुल प्रतिकूल है। गत शताब्दी के मध्य यूरोप में भाप (Steam) के आधार पर यंत्रयुग का विकास हुआ। भाप का विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता था। अतः बड़े बड़े कारखाने स्टीम के आधार पर चले। होने वाले उत्पादन की प्रक्रियाओं का भी विकेंद्रीकरण नहीं हो सका। अस्तु, मजदूरों का केन्द्रीकरण हुआ। सरमाया का केन्द्रीकरण हुआ। अर्थात् श्रम एवं पूंजी दोनों का केन्द्रीकरण अपरिहार्य हो गया। फलस्वरूप सम्पत्ति के केन्द्रीकरण से श्रमिकों में पृथक्त्व की भावना तथा मालिक मजदूर संघर्ष का वातावरण निर्माण हुआ, जो आज भी जैसा का तैसा सतत विद्यमान है।

यह अन्धानुकरण

एक ओर जहाँ पश्चिम इस प्रकार के यन्त्रीकरण एवं केन्द्रीकरण के बुष्परिणामों से मुक्ति नहीं पा सकी तो भी दूसरी ओर गत शताब्दी में ही धन के लोभ में आकर हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने पश्चिमी उद्योगों का बिना सोचे समझे अन्धानुकरण किया और उधर की उद्योग रचना इधर भी लाई। इसी का परिणाम है—“अभारतीय स्वरूप के औद्योगिक सम्बन्ध तथा औद्योगिक कानून।” इस औद्योगिक कानून का आधार हमारी परम्परा, प्रकृति या परिस्थिति नहीं वरन् *British Common law and Equity, law of Master and Servant* तथा *British Industrial Legislation* है। यही कारण है कि ये कानून हमारी परिस्थिति में ठीक नहीं बैठते और हमारी समस्याओं का समाधान अथवा हल नहीं कर सकते।

जो वेतनभोगी नहीं हैं

एक छोटा-सा प्राथमिक उदाहरण ही लीजिये—मजदूर किसको कहा जाय ? हमारे यहाँ कहा गया है—“कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतंसमाः” अर्थात् हर

एक व्यक्ति को कर्म करते ही रहना चाहिये । इस सांस्कृतिक अर्थ में हर एक व्यक्ति श्रमिक है । किन्तु आज के कानून के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति श्रमिक नहीं समझा जाता । एक तो वह वेतन-भोगी (*Wage earner*) होना चाहिये दूसरी बात यह कि उसका मासिक वेतन पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये तथा तीसरी बात यह है कि उसके काम का स्वरूप व्यवस्थापकीय न हो । ये तीनों शर्तें जिन पर लागू होंगी, वे ही *Worker* या मजदूर कहे जायेंगे । अर्थात् पांच सौ रुपये से अधिक माहवार कमाने वाले व्यक्ति कितने ही परिश्रमी क्यों न हों, उन्हें श्रमिक नहीं कहा जायगा और श्रमिक के लिये निश्चित सुविधाओं से वे व्यक्ति स्वयं परिश्रमी होते हुये भी वंचित रहेंगे । क्या व्यवस्थापकीय स्वरूप का कार्य करने वाले व्यक्तियों को कम श्रम करना पड़ता है ? नहीं । फिर भी उन्हें कानून की आंखों में "श्रमिक" नहीं कहा जायेगा । इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ दें तो भी भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे कारीगरों की है, जो परिश्रम तो आठ घण्टे से अधिक करते रहते हैं, किन्तु वेतनभोगी नहीं हैं । हमारे बढ़ई, लुहार, स्वर्णकार, दर्जी, नाई, धोबी, राज आदि कारीगर जो किसी भी कारखाने के मजदूर की अपेक्षा कम काम नहीं करते, कानून इन्हें 'श्रमिक' नहीं समझता ।

### विभिन्न क्षेत्रों में

हमारे बाबू लोग जो केवल ८ घण्टे काम करते हैं, कानून की दृष्टि में श्रमिक बन जाते हैं । औद्योगिक कानून ऐसे बाबू लोगों को संरक्षण देता है, पर वास्तविक परिश्रमी कारीगरों को नहीं । क्योंकि बढ़ई के मन में कभी नहीं आता कि हमारे *Working hours* कितने हैं ? चित्रकार बीस बीस घण्टे काम करता है, उसे उसमें रस आता है । जो उसका काम है वही विश्राम हो जाता है । तभी उस काम में, उस कला में विकास भी होता है तथा वे सिद्धहस्त, निपुण एवं विशेषज्ञ बनते हैं । मेघ आने पर मयूर जब नृत्य करने लगते हैं—*Working hours* नहीं जोड़ा करते । उसी प्रकार दिन रात काम करने वाले बिना चिल-पों मचाये मस्ती के साथ जुटने वाले ये ही हमारे कारीगर वास्तव में सच्चे श्रमिक (*Worker-in-fact*) हैं । बाबू लोग तो केवल कानून के अन्तर्गत 'श्रमिक' (*worker-in-law*) हैं । मजाक में ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह *father-in-law* कभी भी *father* नहीं बन सकता उसी प्रकार *workers-in-law* को भी परिभाषा बनाई जा सकती है । इस विनोद को छोड़ भी दें तो भी आज का कानून *worker-in-fact* को "worker" के नाते मान्यता देने को

तैयार नहीं है। अर्थात् सच्चे श्रमिकों को संरक्षण न देने वाला भारत का औद्योगिक कानून है।

### सच्चे श्रमिकों को संरक्षण नहीं

जिन श्रमिकों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध भी है, वहां उस कानून के अन्तर्गत निर्माण हो सकने वाली मशीनरी का उपयोग अधिकतर संगठित उद्योगों के श्रमिकों को ही होता है—असंगठित उद्योगों में बिखरे हुये असंख्य श्रमिकों को नहीं। गृहोद्योग तथा *Small-Scale-industries* में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक तथा पाँच करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिये इन औद्योगिक कानून द्वारा निर्माण हो सकने वाली विविध मशीनरियों का उपयोग कर लेना असम्भव है। इनके लिये कानून भी अप्रयुक्त हैं। जो बने भी हैं उसका पालन होना सम्भव नहीं होता। बड़े उद्योग या बड़ी सेवाओं में काम करने वाले छोटे *Catagories* के श्रमिकों का हित भी आज आँखों से ओझल होता जा रहा है। पेन्शनर्स की संख्या भी आज देश में बहुत है। आज उनकी ओर ध्यान देने का विचार सरकार या यूनियन्स को होना को चाहिये था, पर ऐसी प्रेरणा प्रदत्त करने वाला भाव आज के उस औद्योगिक कानून में नहीं है। संगठित बड़े उद्योगों में भी जिसकी आवाज जनता, सरकार और प्रेस को सुनना पड़ता है—दो सेक्टर हैं, एक *Public* और दूसरा *Private* दोनों के मजदूरों की दशा एवं दुर्दशा हम जानते ही हैं। पश्चिम का सम्पूर्ण ढाँचा इसमें खड़ा किया गया है। केवल 'लाभ के लिये उत्पादन' (*Profit Motive*) इनका उद्देश्य रखा गया है। अपनी कमजोरी एवं हीन भावना के कारण जो ब्रिटिश कानून यहां लाया गया है—उसका पालन करने में वहां की पूरी पूरी नकल भी नहीं की गई है ये सारी बातें हमें बताती हैं कि औद्योगिक कानून अभारतीय होनेके कारण सच्चे श्रमिकोंको संरक्षण देने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है।

यद्यपि 'भारतीय मजदूर संघ' भारतीय-समाज रचना अर्थात् भारतीयता को अन्तिम उद्देश्य मानता है तो भी जब तक भारतीय विशेषताओं से युक्त 'भारतीय समाज-व्यवस्था' के पुनर्निर्माण का प्रयत्न सफल नहीं हो जाता—उसे वर्तमान ढाँचे में ही काम करना है।

आज दुनियां का औद्योगिक क्षेत्र विकेन्द्रित हो सकता है, क्योंकि स्टीम का स्थान *Power* (बिजली) ने ले लिया है। अस्तु, उत्पादन साधनों का विकेन्द्रीकरण औद्योगिक समस्या का प्रथम हल है।

## मांगे असीमित नहीं

लोग कहते हैं मजदूरों को कितना ही दो उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकतीं पर क्या पूँजीपतियों को कितना ही धन प्राप्त हो उनकी 'हविस' पूरी होती है ? हमारा कहना है मजदूरों की मांगे सीमित हैं असीमित नहीं । उनकी मांगों की 'लक्ष्मण रेखा' निर्धारित है आज से नहीं वरन् परम्परा से ही । अंग्रेजी के अधिक नामों से लोग घबड़ा से जाते हैं । जैसे बेसिक वेजेज, वर्किंग आवर, वर्कलोड, ले आफ, डियरनेस एलाउन्स, पेन्शन, ग्रेच्युइटी, प्राविडेन्ट फण्ड, सोशल सिक्युरिटी, वर्कमेन्स कम्पन्सेशन्स, रिटायरमेन्ट बेनीफीट, हाउसिंग आदि पचासों नाम प्रयोग में लाये जाते हैं । पाश्चात्य देशों में कहना तो बहुत पर समझना कुछ ही अथवा अधिक कहने में कुछ तो समझ में आवेगा ही इस पर उनका विश्वास है । अपने यहां 'सूत्र' का स्थान है । उसका भाष्य लोग करते रहते हैं । "आहार, निद्रा, भय मैथुनं च ।" इन चार बातों में ही समस्त भूत प्राणियों की आवश्यकता के समान हमारे मजदूर की भी सभी मांगे आ जाती हैं । जीवन की ये न्यूनतम आवश्यकतायें पूर्ण होनी ही चाहिए । कम से कम वह सुविधा चाहता है । (१) आहार (रोटी) के लिये वेतन (२) निद्रा अर्थात् आराम, 'अवकाश' (३) भय या असुरक्षा से छुटकारा अर्थात् 'नौकरी की गारण्टी' तथा (४) मैथुन अर्थात् 'न्यूनतम सुख-सुविधायें' उसे अपेक्षित हैं ।

## रोजी का हक मिलना ही चाहिए

आहार मतलब रोटी उसे मिलना ही चाहिये । रोटी यानी रोजी का हक मिलना चाहिए । 'Right to work' चाहिये । निद्रा अर्थात् आराम (अवकाश) सप्ताह में एक दिन छुट्टी होनी ही चाहिये । प्रति दिन ८ घण्टे से ऊपर काम नहीं । जो काम करते हैं—वह बर्दास्त करने योग्य हो । अर्थात् Right to rest चाहिये । भय यानी डर अथवा आशंका अर्थात् काम करते करते बूढ़ा हो गया तो हमारा क्या होगा ? हमारे बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा ? मेरा हाथ अथवा पैर कहीं कट जाय अथवा काम करते करते मेरी मौत भी हो जाय—उस अवस्था में कुछ प्रबन्ध तो चाहिये ही । कई कानून इस सम्बन्ध में बने हैं । प्राविडेन्ट फण्ड की योजना है । बीमा योजना है । मुआबजा की योजना है । इसी को कहा गया है—सामाजिक सुरक्षा । अन्त में आवश्यकता है—रहने के लिये मकान की, पढ़ने के लिये पुस्तकों की, खेल एवं कूद तथा मनोरंजन के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था की । इस प्रकार की सारी योजनाओं को अर्थात् मैथुनं च

की संज्ञा से हम समझ सकते हैं। केवल रोटी के लिए फिरते रहना धर्म नहीं है पर बिना रोटी के धर्म कार्य भी सम्भव नहीं है। "भूखे भजन न होय गोपाला"—तो संतुष्ट होकर भगवान की पूजा के लिये तत्पर। इस रोजी-रोटी की व्यवस्था से निश्चिन्त होकर शुद्ध विचार, 'संस्कृति' की ओर हम अग्रसर होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं—इन चार प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त 'संस्कृति' तथा आवश्यकताओं की पूर्ति न होना 'विकृति' है।

### पैसा और पसीने का सिद्धांत

आज इन माँगों के लिये भी मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ता है। पश्चिम में देश को, राष्ट्रीय भावनाओं को, देशभक्ति को प्रथम स्थान देते हैं। हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं है। न तो मालिक का राष्ट्रीय दृष्टिकोण है न ही मजदूर का। दोनों अपना अपना विचार करते हैं। राष्ट्रीयता के अभाव के कारण समस्याओं का सुलझना नहीं हो पाता। साथ ही मजदूरों के मन में 'यह मेरी *industry* है'—का भाव निर्माण नहीं हो पाता। 'पैसा और पसीना' दोनों के *Share* का सिद्धांत जब तक लागू नहीं होता—यह भाव सम्भव नहीं, अस्तु दो प्रकार के *Share holders* होने ही चाहिए। दोनों मालिक रहेंगे। एक पैसे वाला और दूसरा पसीने वाला अर्थात् मालिकत्व में मजदूरों की साझेदारी अनिवार्य रूपसे होनी ही चाहिये। तभी औद्योगिक शान्ति स्थापित हो सकेगी। "दोनों राष्ट्र के सिपाही हैं"—का वास्तविक भाव निर्माण करने में उपर्युक्त सिद्धान्त अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होगा।

### राष्ट्रीयकरण—एक रोग

'राष्ट्रीयकरण'—समस्याओं का उपचार नहीं यह तो महाभयंकर 'रोग' है। समाजवाद के नाम पर समाजद्रोह की यह क्रिया है। उसका सीधा अर्थ है—लोगों के अधिकार छीन लेना और गुलाम बना कर रखना। राष्ट्रीयकरण से मजदूर खुशहाल नहीं होता। हमारे सामने *Life Insurance Corporation* का उदाहरण प्रस्तुत है। ६ महीने में ही उन मजदूरों को हड़ताल करना पड़ा। गत वर्ष केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल हमारे सामने है। जहां कहीं भी सरकार अपने हाथ डाले—यही दशा होती है। आज तो मजदूरों के मौलिक अधिकार—'हड़ताल के अधिकार' पर नौबत आ खड़ी हुई है। राष्ट्रीयकरण से सारी शक्ति शासन चलाने वाली पार्टी के प्रमुख—जो भी दो, तीन, एक होंगे—उनके हाथ में आ जाती है। हिटलर एवं स्टालिन से भी बढ़ कर तानाशाह को हम इस पद्धति

से जन्म देते हैं। जैसे हम टाटा, बिड़ला को प्रधान मन्त्री नहीं बनाना चाहते, उसी प्रकार प्रधान मन्त्री को भी सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके हजार टाटा, बिड़लाओं से भी सम्पन्न पूँजीपति नहीं बनाना चाहते। आज संसार के सबसे बड़े उद्योगपति खूश्चेव हैं, जिनके इंगित पर हजारों एवं लाखों को इस दुनियाँ से छुटकारा मिलता रहता है। यह है एक उदाहरण जिससे हम को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

भारत में ऐसी अनेक विचार धाराओं एवं व्यवस्थाओं का विकास हुआ, जो अनेक अंशों में अतुलनीय है। पश्चिम के नवीन उत्पन्न राष्ट्र अभी भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं के हल करने में परीक्षण और स्वलन की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु भारतीयों को इस बात का विशेष सौभाग्य प्राप्त है कि इन लोगों को धर्म के अंगभूत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ठोस और मौलिक सिद्धान्तों का साक्षात्कार हुआ। हम सभी श्रमिक आज कल प्रारम्भिक पारिश्रमिक, मंहगाई-भत्ता, बोनस, वृद्धि, कार्यकाल, कार्यभार, अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण आदि विषयक अनेक मांगों को रख रहे हैं। ये सभी मांगे निस्संदेह उचित एवं आवश्यक हैं। किन्तु इस मांग-तालिका से केवल छिद्रावरोध मात्र का कार्य होता है। इस प्रकार समस्या का स्थाई हल नहीं हो पाता। संसार के श्रमिकों को तब तक चैन नहीं मिल सकती जब तक न्याय, समानता और सद्भाव के आधार पर आश्रित किसी उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का उदय नहीं हो जाता। क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम पश्चिम के किसी अपूर्णवाद को अपना लें।

### उत्पादन लाभ के लिये नहीं

हम "लाभ के लिये उत्पादन" सिद्धान्त पर आधारित पूँजीवाद को नहीं अपना सकते। इसमें 'मांग और पूर्ति' का नियम कार्यशील रहता है जिससे मूल्य से उत्पादन को नियंत्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार हम कम्युनिज्म को भी नहीं अपना सकते। इसमें व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति के स्थान पर सरकारी प्रयोग की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में राजकीय अधिकारियों के हाथ में समस्त आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है। अर्थात् राज्याधिकारियों के ही हाथों में उत्पादन एवं वितरण का समस्त अधिकार चला जाता है। एक मात्र राज्य ही उत्पादन-व्यवस्था, वेतन एवं भत्ता आदि के देने, उत्पादन तथा उपभोग में समन्वय स्थापन के ब्याज से मूल्य निर्धारणादि का अधिकारी हो

जाता है। ये दोनों ही व्यवस्थायें असमाजिक हैं एवं कटु आलोचना के पात्र हैं। यद्यपि अनेक कारणों में "योग्यतानुसार काम एवं आवश्यकतानुसार पूर्ति" का सिद्धान्त प्रत्यक्ष रूपमें आकर्षक प्रतीत होता है, किन्तु इसमें उत्पादन एवं विभाजन पर पूर्व अधिकार रखने वाले सर्वग्रासी राज्य की सत्ता अनिवार्य है।

### एक कठिन प्रश्न

'योग्यतानुसार काम' के अनुसार काम लेने वाला कौन होगा? योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? सबकी आवश्यकता का निर्धारण कौन करेगा? हर एक को आवश्यकतानुसार देने वाला कौन होगा? और यदि किसी मानवीय निमित्त द्वारा यह सबसे महत्वपूर्ण काम पूर्ण भी हो जाय तो क्या वह निमित्त उन सबका स्वामी नहीं बन जायगा जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके द्वारा होती है? इस सर्वातिशय शक्तिशाली निमित्त का नियन्त्रण कौन करेगा? क्या सर्वशक्ति सम्पन्न राज्य के लिये यह सम्भव है कि वह समस्त मानवीय अवयवों से वैज्ञानिक देबाव के द्वारा अधिकतम सम्भव कार्य करा ले या मनुष्य की सतत् वृद्धिगत समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे?

जनतंत्र (*Democracy*) में रिक्त स्थान (*Vacancy*) के अनुसार किसी को काम मिलता है। कम्युनिस्ट देशों में पहले लोगों के लिये *job* तैयार किया जाता है, पश्चात् उनकी नियुक्ति होती है तथा हमारे यहां भारत में गुणकर्म के अनुसार जन्म से ही रोजी की व्यवस्था है। यहां यह विश्वास है कि अपनी नियमित रोजी के बिना किसी का जन्म ही नहीं हो सकता।

भारत ने ऐसे सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को विकसित किया, जिसने कर्म को भगवद् पूजा का पवित्र रूप बना दिया। इस व्यवस्था में मन्वी के समय भी काम की गारण्टी थी। प्रत्येक व्यक्ति 'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त समाकिर' अर्थात् सौ हाथों से एकत्रित करो और हजार हाथों से वितरित करो के आदर्श से प्रेरित होता है। समाज की विशेष आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति की रुचि सम्बद्ध रहती है। गुणकर्मनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व के विभाजन के स्वयंमेव अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया एवं व्यक्ति स्वातन्त्र्य और सामाजिक नियम में उपयुक्त संतुलन स्थापित हुआ, जिससे जनतन्त्रीय अनुशासन और अनुशासित आर्थिक जनतन्त्र की उत्पत्ति हुई। यही एकमेव मार्ग है— जिस पर चलने के लिये हम प्रयत्नशील हों।

## एक ऐतिहासिक आवश्यकता

भारतीय मजदूर संघ के निर्माण के पूर्व भारत के श्रमिक क्षेत्र में प्रमुख रूपसे दो प्रवाह—एक साम्यवादियों द्वारा संचालित ए० आई० टी० यू० सी० का तथा दूसरा कांग्रेसी नेता द्वारा संचालित इंटक का—चल रहे थे। इनमें से साम्यवादियों का कार्य अधिक पुराना एवं प्रभावी था और इसका कारण यह था कि सन् १९४७ के पूर्व सभी राष्ट्रवादी नेतागण अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में रत होने के कारण इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित न कर सके। दूसरी ओर साम्यवादियों के राष्ट्र-विरोधी, रूस-परक दृष्टिकोण एवं ढुलमुल नीति के कारण भारत के जनमानस में उनके लिये कोई स्थान न था। फलतः उन्होंने अपने कार्य को अशिक्षित एवं त्रसित श्रमिक-वर्ग में ही केन्द्रित किया। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि किसी भी सुदृढ़ राष्ट्र में, जहां पर श्रमिक पढ़ा लिखा, सम्पन्न एवं राष्ट्र-भक्ति के गुणों से युक्त है वहां कम्युनिज्म के लिये कोई स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि कम्युनिज्म जर्मनी, इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे औद्योगिक राष्ट्रों में न फैल कर सर्वप्रथम रूस की मरुभूमि में ही विकसित हुआ।

### साम्यवादी टेकनिक

रूस में सर्वप्रथम कम्युनिज्म का आना और आज भी अर्धविकसित एवं औद्योगीकरण में पिछड़े हुये राष्ट्रों में उसका पनपना इस बात का परिचायक है कि जहां भी औद्योगीकरण बढ़ जाता है और श्रमिक ट्रेड-यूनियनिज्म के आधार पर संगठित हो जाता है वहां इनकी दाल नहीं गलने पाती। इसी तथ्य को हृदयंगम कर भारतीय साम्यवादी दल ने सर्वप्रथम श्रमिक-क्षेत्र में प्रविष्ट होने की चेष्टा की और लेनिन के कथनानुसार ट्रेड यूनियन को 'A school of Communism' में परिवर्तित करने के प्रयास में लग गये।

### साम्यवादी प्रभाव

सन् १९४७ के पूर्व राष्ट्रवादी तत्वों का इस ओर ध्यान न दे पाना और साम्यवादियों का अपने कार्य को श्रमिक-क्षेत्र में केन्द्रित करते हुये पैर जमाना

वास्तव में एक *Historical accident* ही कहा जायगा । किन्तु फिर भी यह न समझना चाहिये कि इन पंचमांगी तत्वों को इस क्षेत्र में उचित सफलता प्राप्त हुई है ।

वास्तविकता तो यह है कि इस क्षेत्र में साम्यवादियों ने जितनी प्रचुर मात्रा में नेता, समय और पैसा लगाया—उस तुलना में उन्हें सफलता नहीं मिली और इसलिए मजदूर-क्षेत्र में उन्हें जो *dividends* प्राप्त हुये वे निराशाजनक ही कहे जायेंगे । इसीलिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जब ३ मई १९४७ को इंटक का निर्माण हुआ तब वह शीघ्र ही देश का प्रमुख श्रमिक-संगठन बन गया ।

इंटककी इस प्रगतिसे राष्ट्रवादी तत्वोंका अत्यधिक आनंदित होना स्वाभाविक था क्योंकि साम्यवादियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी । किन्तु शीघ्र ही यह आशा धूमिल पड़ गई । इसका कारण यह था कि इंटक श्रमिकों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सदैव असफल रही और सरकार की चेरी, तथा कांग्रेस की दासी बनकर रह गई । इस प्रकार इंटक ने मिल-मालकों से समझौता एवं मजदूर-आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने का ही कार्य किया ।

### एक प्रश्न चिन्ह

फलतः कुछ ऐसे तत्वों द्वारा जो श्रमिकों के हितैषी होने के साथ ही साम्यवादियों की भांति पंचमांगियों के पार्ट अदा करने को तैयार न थे, एक अन्य अखिल भारतीय श्रमिक-संगठन की आवश्यकता अनुभव करने लगे । इन राष्ट्रवादी तत्वों के अनुसार यह नवीन संगठन ऐसा होना चाहिये था जो कि श्रमिक-क्षेत्र से पंचमांगी साम्यवादी तत्वों का निष्कासन करने के साथ ही श्रमिक-हितों के लिये मालिकों से संघर्ष भी कर सके । अतः इस आवश्यकता को अनुभव कर ये नेतागण लोकमान्य तिलक के पावन जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक २३ जुलाई १९५५ को भोपाल में एकत्रित हुये और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ नामक नवीन राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की ।

### भा० म० संघ का दार्शनिक आधार

अब प्रश्न उठता है कि भा० म० संघ का दार्शनिक आधार क्या है ? इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी वामपन्थी श्रमिक-संस्थायें मार्क्स को अपना मसीहा मानने के कारण वर्ग-संघर्ष द्वारा वर्गहीन और राज्य-विहीन समाज की स्थापना में विश्वास करती हैं । कांग्रेस द्वारा समाजवाद को स्वीकार

किये जाने से इंटक का भी दार्शनिक-आधार वही हो जाता है। किन्तु भारतीय मजदूर संघ राज्य-विहीन समाज की कल्पना को, जो कि मूलतः भारतीय है, मानते हुये भी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता। इसी भांति भा० म० संघ इतिहास की आर्थिक व्याख्या को मनाने को भी तत्पर नहीं। इसके विपरीत उसका मत है कि सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का मूलाधार आर्थिक न होकर मनोवैज्ञानिक है। दूसरे शब्दोंमें इतिहास मानव-मस्तिष्क की हलचलों का परिणाम है और आर्थिक संस्थायें आदि उसी मनोवैज्ञानिक अन्तर्द्वन्द्व का बाह्यरूप हैं। यहाँ तक कि संघर्ष, जो कि द्वन्द्ववाद की प्रमुख विशेषता है, वह आदर्शवाद के रूपमें वैचारिक जगत में पहले प्रारम्भ होता है और आर्थिक जगत पर उसकी प्रतिक्रिया उसके पश्चात् होती है। यह भी सत्य है कि किसी देश की संस्कृति भी वैचारिक संघर्ष को प्रभावित करने वाली मूलाधार है और भा० म० संघ उसे स्वीकार करता है।

इस प्रकार भा० म० संघ न तो 'दक्षिण पन्थी' है और न 'वामपन्थी।' उन लोगों के लिये, जो वास्तव में 'राष्ट्रवाद' से उत्पन्न आर्थिक व्याख्याओं से अनभिज्ञ हैं, भा० म० संघ किसी भी वाद से बधा न होकर 'वास्तव-वादी' है।

### विशेषता

हड़ताल कम्युनिस्टों के लिये प्रथम शस्त्र है और इंटक उसे स्पर्श करना भी नहीं चाहती। भारतीय मजदूर संघ न तो हड़ताल अस्पर्श ही समझता है और न प्रथम शस्त्र ही। अन्य संवैधानिक मार्गों को अपनाने के पश्चात् यदि वे कलवायी न हुये तो भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अन्तिम शस्त्र के रूप में अपनाता है।

जहाँ एक ओर कम्युनिस्ट वर्ग-संघर्षवादी हैं ओर इंटक वर्ग-समन्वयवादी, वहाँ भारतीय मजदूर संघ वर्गवाद में ही विश्वास नहीं रखता। वह आर्थिक असमानता को दूर करना चाहता है। देश के सम्पूर्ण समाज को एक परिवार के रूप में स्वीकार करता है, और सभी को भारत माता की संतान मानता है।

भारतीय मजदूर संघ का मत है कि सरकार का नियन्त्रण उतना ही ही रहना चाहिये कि कोई स्वतन्त्र कीमत का निर्धारण न कर सके और न अवैध रीति से कोई व्यापार ही कर सके। वह न्याय विभाग को भी शासन से स्वतन्त्र रखने का हिमायती है।

वह सिद्धान्तों की शुद्धता के साथ ही साथ हर हालत में कार्यकलापों की भी शुद्धता रखनेका विश्वासी है। हिंसा उसे किसी भी बुनियाद पर सह्य नहीं है।

वह चाहता है कि प्रबन्ध और लाभ दोनों में श्रमिक वर्ग की साझेदारी हो। पैसे के समान पसीने के शेयर का वह हिमायती है।

इसने श्रमिक क्षेत्र को पूर्णतया अराजनैतिक क्षेत्र रखने का दृढ़ संकल्प किया है।

अधिक से अधिक लोगों को काम देने की दृष्टि से कुटीर एवं लघु उद्योग को उचित संरक्षण देने का इसने तय किया है।

न्यूनतम वेतन दर निश्चित कर देने का उसका आग्रह है और स्थायी रूपसे वेतन समिति नियुक्त करने का उसका सुझाव है। जो समय समय पर सभी उद्योगों में मूल्यदारों के अनुपात में वेतन दरोंकी भी घोषणा करती रहेंगी।

यांत्रिकता के लिए अभिनवीकरण के नाम पर छटनी का वह विरोधी है।

उत्पादन की वृद्धि का लाभ पूँजी, धर्म तथा उपभोक्ताओं में समान रूपसे वितरित कराने का वह पक्षपाती है।

### राष्ट्रीय दृष्टिकोण

भारतीय मजदूर संघ ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय विशेषताओं के साथ मजदूर क्षेत्र में पदार्पण किया है। राष्ट्र के प्रतीक ही उसके संगठन के प्रतीक हैं। मजदूर संघ ने भगवाध्वज अपनाया है। उसका निशान मानव अंगूठा है। उसका श्रम दिवस विश्वकर्मा जयन्ती का दिन है। इन सबकी मान्यताओं में मजदूर समस्याओं के समाधान का भाव भी छिपा हुआ है। राष्ट्रहित, औद्योगिक शान्ति, मजदूर समस्याओं का निराकरण एवं देशद्रोही तत्वों से मजदूरों को बचाने की भूमिका लेकर भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक क्षेत्र में पदार्पण किया है। उसकी सफलता का रहस्य भी यही है।

### भा० म० संघ का संक्षिप्त परिचय

- १—राष्ट्रवादी दृष्टिकोण।
- २—रचनात्मक-प्रवेश।
- ३—अवसरवादिता नहीं आदर्शवाद।
- ४—लोकतांत्रिक उपायों में आस्था।
- ५—संस्था का अराजनैतिक स्वरूप।
- ६—जाति, लिंग, पंथ और समाज का विचार न कर प्रत्येक भारतीय को प्रवेश।

- ७—वर्गवाद की कल्पना भ्रममूलक ।  
८—श्रमिक-हित और राष्ट्रीय-हितों में साम्य की मान्यता ।  
९—पूँजीवाद एवं साम्यवाद दोनों से अलग मजदूर वर्ग को ले जाने का निश्चय ।  
१०—संस्थान में पैसे और पसीने के शेयर का आप्रह तथा कर्तव्य एवं अधिकार का समन्वय ।  
११—अधिकतम उत्पादन तथा बराबर-बराबर लाभ ।  
१२—अन्य सभी वैधानिक मार्गों की असफलता पर हड़ताल का अन्तिम शस्त्र के रूप में उपयोग ।  
१३—परमेश्वर ही समस्त पूँजी का स्वामी है, यह दृढ़ विश्वास ।  
१४—पश्चिम की मान्यतायें, परिभाषायें एवं आदर्शवाद की बौद्धिक दासता से छुटकारा ।  
१५—भारतीय समाज-व्यवस्था की वैज्ञानिकता एवं अन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास ।  
१६—राष्ट्रीय प्रतिभा द्वारा समाज-व्यवस्था एवं दार्शनिक सिद्धांत के विकास की योग्यता पर विश्वास ।  
१७—भारतीय एवं वैज्ञानिक आधार पर वर्ग रहित संघीय स्वायत्त उद्योग समूहों की स्थापना की मान्यता ।  
१८—वेतन-आयोग की स्थायी रूपसे स्थापना की मांग ।  
१९—कम्युनिस्टों के विरुद्ध सभी राष्ट्रवादी श्रम संगठन एक होकर श्रमिक समस्याओं के सुलझाने का विश्वासी ।  
२०—कोई भी यूनियन, सम्बन्धित फँवट्टी की अन्य यूनियनों के परामर्श लेकर ही अपने पग उठाये, का हिमायती ।

---

साईं इतना दीजिए, जामें कुटुम्ब समाय ।

मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

—कबीर



पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम ।

दोह हाथ उलीचिए, यही सघानों काम ॥



जिनके मार्ग दर्शन में

# भारतीय मजदूर

## संघ

प्रगति कर रहा है

दत्तोपन्त ठेंगड़ी

“स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है” की घोषणा करने वाले लोकमान्य तिलक के पावन जन्म दिवस पर २३ जुलाई, १९५५ के दिन भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। उस दिन अखिल भारतीय सम्मेलन में श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करते हुये ‘काम पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है’ की घोषणा करके इस नवोदित महासंघ का एक ही वाक्य में समूचा उद्देश्य रख दिया। आज उनके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ प्रगति करता हुआ, देश के श्रमिक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि संगठन बन चुका है।

विश्वकर्मा जयन्ती पर राष्ट्रीय श्रम दिवस का आयोजन करके उन्होंने श्रमिक क्षेत्र में जहाँ स्वदेश भक्ति व भारतीयता की अलख जगाकर मजदूरों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया, वहाँ ही ‘काम और आराम (हड़ताल) दोनों मौलिक अधिकार हैं, उनका छीना जाना सहन नहीं किया जा सकता’ की गर्जना करके श्रमिकों के व्यापक अधिकार की रक्षा का दायित्व भी ग्रहण किया है।

वे सारे देश में “पैसे के समान पसीने का शेयर” निश्चित कराने का अलख जगा रहे हैं और मजदूर को मालिक की स्थिति में बैठाना चाहते हैं। उनका कहना है ‘राष्ट्रीयकरण नहीं उद्योगों का श्रमकीकरण करो, क्योंकि राष्ट्रीयकरण में तो केवल मालिक ही बदलते हैं, मजदूर तो फिर भी गुलाम ही रहता है।’ इस सम्बन्ध में श्री ठेंगड़ी जी का सूत्र यह है कि राष्ट्र का उद्योगीकरण; उद्योगों का श्रमिकीकरण तथा श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण।

(*Nationalise the Labour; Labourise the Industry, Industrialise the Nation*) गरीबी और बेकारी से मुक्ति पाने के लिये 'पूँजी प्रधान के स्थान पर श्रम-प्रधान अर्थ रचना' की मांग करके उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के उद्देश्यों के सभी पहलुओं को व्यक्त किया है।

उपर्युक्त विश्लेषणों से जहाँ श्री ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में भारतीय मजदूर संघ का सैद्धान्तिक परिचय मिलता है, वहाँ उनका भी संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है।


वर्धा जिले के आरवी गाँव में श्री दत्तोपन्त का जन्म हुआ। उनके पिता स्व० श्री वापूराव दाजी ठेंगड़ी वर्धा जिले के प्रसिद्ध वकील थे। पिता ने सन् १९२० के १० नवम्बर को जन्म लेने वाले इस बालक को पढ़ा-लिखा कर अपने समान वकील बनाया और उनसे बहुत सी अपेक्षाएँ रखीं। परन्तु उनके इस मितभाषी पुत्र को छल-प्रपंचयुक्त दुनियादारी और उसके बंचक रास्ते किंचिद्‌ऽपि आकर्षित न कर सके। अतः उस भोगवादी जीवन से पराङ्गमुख हो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूपमें अपना तन-मन सभी राष्ट्र-सेवा में अर्पित कर दिया।

अनेक वर्षों तक मद्रास, केरल एवं बंगाल प्रान्तों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में श्री ठेंगड़ी जी ने कार्य किया। सन् १९५० में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् विदर्भ प्रान्त के अध्यक्ष हुये और साथ ही इन्दुक के विभिन्न श्रमिक यूनियनों के उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्त रहे। सन् १९५०-५१ के कार्यकाल में आप इन्दुक के प्रादेशिक संगठन-मन्त्री मनोनीत किये गये और इसी बीच इन्दुक के अखिल भारतीय प्रतिनिधि (जनरल कौन्सिलर) भी चुने गये।

अनेकांगी योग्यताओं के कारण आगे चल कर श्री ठेंगड़ी जी को 'मध्य प्रदेशीय हस्त-कर्धा-उद्योग-कांफ्रेंस' के परामर्शदाता (ऐडवाइजर) के रूपमें मनोनीत किया गया तथा १९५३ से १९५५ की अवधि में मध्य प्रदेश किरायेदार संघ के संगठन मन्त्री के रूपमें भी इन्होंने कार्य किया। सन् १९५४-५५ के कार्यकाल में आप 'सेन्ट्रल रेलवे मेल सर्विस यूनियन' के अध्यक्ष चुने गये और उसी अवधि में आपने 'मध्य प्रदेशीय नागरिक स्वाधीनता समिति' नामक संस्था भी संगठित की। सन् १९५९ में श्री ठेंगड़ी जी को जीवन बीमा निगम के फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

भारतीय इतिहास, दर्शन, अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति आदि विषयों के पारंगत तथा संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी एवं बंगाली आदि भाषाओं पर पूरा अधिकार रखने वाले, इस अत्यन्त सरल व मृदुभाषी नेता को आज भारत के कोने कोने में समान रूपसे आदर प्राप्त है ।

श्री ठेंगड़ी जी के अक्रिशान्त एवं ध्येयनिष्ठ जीवन से स्फूर्ति लेकर आज एक विशाल कारवां चल रहा है । वह दिन दूर नहीं, जिस दिन भारत का मजदूर, विदेशी नेतृत्व से मुक्त होकर राष्ट्रीय नेतृत्व में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता हुआ अपने स्वत्व को प्राप्त करेगा और सन्तुष्ट, सुखी तथा सम्मानित जीवन व्यतीत करते हुये भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर देगा ।



‘देश के लिये लड़ने वाला सैनिक अपने जीवन की बाजी अर्थ की कामना से नहीं लगाता । अर्थ का लालच उसे देशद्रोह सिखा सकता है, देशभक्ति नहीं । स्त्री के सतीत्व का अपना मूल्य है, उसे अर्थ की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । वैद्य रोगी की चिकित्सा के बदले में अर्थ किन मूल्यों के आधार पर ले सकेगा ? अध्यापक विद्यादान का मूल्य नहीं लगा सकता । सरकारी कर्मचारी किस आधार पर एक फाइल को आगे सरकाने के लिये मूल्य लेगा ? दुर्बल की रक्षा करने वाली पुलिस जब अपनी सेवाओं का मूल्य मांगे, तब या तो दुर्बल की रक्षा ही नहीं हो पायेगी अथवा शरीर-शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमा कर अपनी रक्षा का मूल्य चुकायेगा । श्रम का, चाहे शारीरिक हो या मानसिक यद्यपि दृश्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं में हुआ है तो भी रुपये पैसे में मूल्य आंकना असम्भव है ।’

न्याय और अन्याय के गीत गाने से क्या लाभ ?

अपनी दुर्बलता के अतिरिक्त और अन्याय है भी क्या ?

न्याय है शक्ति,

न्याय है सत्ता,

और

न्याय है अधिकार ।

जिनके पास शक्ति, सत्ता और अधिकार नहीं है,

वे न्याय की भीख माँगते ही रहते हैं ।

वह पथ क्या, वह पथिक कुशलता क्या,

जिस पथ में बिखरे शूल न हों ।

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,

यदि धारायें प्रतिकूल न हों ॥